कुरुक्षेत्र

नवम्बर, 94

तीन रुपये

स्वरोजगार के लिए

सुनिश्चित रोजगार योजना का दायरा बढ़ा

मरुभूमि विकास और सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमों का और 511 ब्लाकों में विस्तार

प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्ह राव ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में 430 ब्लाकों और मरुभूमि विकास कार्यक्रम में 26 नए ब्लाकों को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा उन्होंने अभी सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले 55 ब्लाकों को मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की भी मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति डा० सी० एच० हनुमंत राव की अध्यक्षता में इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले जिलों और ब्लाकों के चयन के लिए गठित एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिशों पर दी गई। इसके परिणामस्वरूप, नये शामिल किए गए 511 ब्लाकों को जल संभर क्षेत्रों के विकास और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए किए जा रहे अन्य उपायों का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित रोजगार योजना में भी 501 अतिरिक्त ब्लाकों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत गैर कृषि मौसम के दौरान जरूरतमंद लोगों को लगभग 100 दिनों का दिहाड़ी रोजगार दिया जाता है। इस योजना का दायरा उन 178 ब्लाकों तक भी बढ़ाया जाएगा, जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या जनसंख्या के 30 प्रतिशत से अधिक है तथा जो संशोधित कृषि विकास क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके परिणामस्वरूप, इस योजना के अंतर्गत आने वाले ब्लाकों की संख्या 1778 से बढ़कर 2279 हो जाएगी, जो देश के कुल ब्लाकों का लगभग 40 प्रतिशत है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले 501 ब्लाकों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी लागू की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत आने वाले ब्लाकों की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है - आंध्र प्रदेश - 68, बिहार-59, गुजरात-29, हिमाचल प्रदेश-11, कर्नाटक-30, मध्य प्रदेश-66, महाराष्ट्र लगभग-100, उड़ीसा-35, राजस्थान-51 और तमिलनाडु-36।

इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक ब्लाक को एक साल में लगभग एक करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। लघु कथाओं का भी स्वागत है। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है। 'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष 40 अंक 1 कार्तिक-अग्रहायण 1916, नवम्बर 1994

कार्यकारी संपादक	:	बलदेव सिंह मदान
उप संपादक	:	ललिता जोशी

उप निदेशक (उत्पादन)	:	एस.एम. पहल
विज्ञापन प्रबंधक	:	बैजनाथ राजभर
सहायक व्यापार व्यवस्थापक	:	अनिल दुग्गल
आवरण सज्जा	:	अलका नय्यर

एक प्रति : तीन रुपये **वार्षिक चंदा : 30 रुपये**

फोटो साभार : **हेमंत कुमार उप्पल**

इस अंक में

बड़ा उपयोगी है मधुमक्खी पालन	अंकुश्री	3
स्व-रोजगार के लिए : मधुमक्खी पालन	डा० सीताराम सिंह "पंकज"	6
ग्रामीण महिलाओं द्वारा मधुमक्खी पालन	नीलिमा कुंवर एवं एस.एम. डींगर	8
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : एक सिंहावलोकन	डा० रवि शंकर जमुआर	10
ग्रामीण विकास : आवश्यक क्यों	डा० संजय आचार्य	13
सज़ा (कहानी)	रमेश चन्द्र पारीक	15
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की सुदृढ़ता	कु० प्रीति खन्ना	17
नई पंचायत-प्रणाली लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी	रामजी प्रसाद सिंह	20
रोजगार अवसरों में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	डा० सी. एम. चौधरी	22
ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम	डा० अशोक कुमार सिंह	24
उत्तर प्रदेश : गन्ने का प्रदेश	हरि बिश्नोई	26
मानव जीवन में वनों का महत्व	दिलीप कुमार पाण्डेय	29
विभिन्न प्रकार की मुर्गी पालन व्यवस्था	अंजू खरे	32
राजस्थान में जलोत्थान सिंचाई योजनाएं	परमेश चन्द्र	35
आहार और पोषण : कुपोषण की रोकथाम	राजीव रंजन वर्मा	37

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 384888

पाठकों के विचार

'कुरुक्षेत्र' का मैं नियमित पाठक हूं। अगस्त 1994 का अंक प्रेरक है। इसमें 'पंचायती राज और राजीव गांधी' और 'पंचायती राज और महिलाएं' सामयिक तथा सारगर्भित लेख दिए गए हैं। पंचायती राज की पहल करने वाला मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां राजीव जयंती (20 अगस्त) से पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।

पंच को परमेश्वर कहा गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है।' गांव की प्रगति में ही सबकी प्रगति है। चाचा नेहरू ने कहा था कि 'वास्तविक बदलाव निःसंदेह गांव से आता है, गांव में रहने वाले लोगों से होता है, और वह बाहर से थोपा नहीं जाता, पंचायतों को विकास संबंधी कार्यों के अधिकार देने से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समूची पृष्ठभूमि बदल सकती है और वहां रहने वाले लोग आत्मनिर्भर और अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बन सकते हैं।' राजीव गांधी ने कहा था कि जब योजना पंचायती संस्थाओं के अनुभवों और प्रस्तावों पर आधारित होगी, तभी वह हमारे लोगों की बुनियादी जरूरतों, उनकी आकांक्षाओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं को कारगर ढंग से पूरा करेंगी। पंचायती राज से बापू, चाचा नेहरू, राजीव गांधी के ग्रामराज का सपना साकार होगा।

शीलचन्द्र
जैन ग्राम–घुराटा, पोस्ट–फूटेरा
जिला–दमोह (म. प्र.)
पिन कोड–470674

कुरुक्षेत्र का "पंचायती राज विशेषांक" जुलाई 1994 पूर्णतया सार्थक अभिधान वाला लगा। इसमें पंचायती राज के सम्बंध में प्रकाशित सभी लेख तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और मूल्यांकनात्मक थे। यदि नवीन पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण ईमानदारी के साथ क्रियान्वित की जाती है तो यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतन्त्र के विशद वृक्ष की जड़ों में उर्वरा शक्तिवर्द्धक खाद मिश्रित पानी देने का काम करेगी।

संशोधित व्यवस्था के मुख्य प्रावधान के रूप में "महिला एवं पिछड़ा वर्ग की सहभागिता" एक क्रांतिकारी, विकासोन्मुख, समयोचित तथा आवश्यक कदम है। यह ग्राम विकास की सुदृढ़ इमारत के निर्माण में नींव का पत्थर साबित हो सकता है। किन्तु प्रावधान मात्र कर देने से व्यवस्थायें अपना सुफल नहीं दे देतीं। इसके लिए उचित माहौल तैयार करना एक पूर्व शर्त होती है। इसका रास्ता भी इसी अंक में प्रकाशित श्री अशोक कुमार यादव के लेख–"जहां गांव वाले..."–में संकेतित है, अर्थात् डूंगरपुर की पहल पर महिला तथा पिछड़े वर्ग में जन जागृति पैदा करने के लिए प्रत्येक गांव में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाये तथा इन दोनों वर्गों के "स्वशासी जागृति केन्द्र" स्थापित किये जाएं ताकि पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए इन वर्गों के प्रतिनिधि, मात्र मूक संख्यात्मक सदस्य न होकर सही मायने में अपने वर्ग के सचेत, प्रतिनिधि बन सकें।

डी. के. भारद्वाज 'किशन'
डी. 68, बापूनगर,
जयपुर-4 (राजस्थान)

हमारे पूर्वजों ने 'पंच' को परमेश्वर कहा क्योंकि वे न्याय की प्रतिमूर्ति माने गए हैं। "पंचायती राज का नवोदय" शीर्षकयुक्त 'कुरुक्षेत्र' का जुलाई 94 अंक पढ़ने पर मुझे पंचायती राज के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकी।

सैयद सलमान हैदर द्वारा लिखित 'पंचायती राज : एक सपना पूरा हुआ' एवं डा. महीपाल कृत "पंचायती राज : अगला कदम" नामक लेखों में 73वें संविधान अधिनियम और उसके क्रियान्वन पर सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत की गई। इस "पंचायती राज विशेषांक" के अन्य आकर्षण रहे 'चुनौतीपूर्ण है पंचायती राज कायम करना' 'जन और मातृशक्ति की प्रतिष्ठा' तथा 'जहां गांव वाले खुद ही अपने झगड़ों को निपटा लेते हैं।' साथ ही 'नशीली दवाओं का कुप्रभाव कैसे रोकें?' 'भारतीय मरुस्थल का कल्पतरु खेजड़ी', 'शोर के विरुद्ध आवाज उठाइये' इत्यादि लेख भी बेहद रोचक व ज्ञानवर्द्धक लगे।

सुश्री नीरमा कुमारी पाण्डेय की लघु कथा 'जहर' जहां पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध से पथभ्रष्ट होती युवा पीढ़ी पर प्रहार करती है, वहीं मोहन नायक जी द्वारा लिखित कहानी 'महातीर्थ' ग्रामीण जनजीवन में व्याप्त अंधविश्वास एवं सुसंस्कृत लेखक की महानता का प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करती है।

मधुसूदन दीक्षित
ग्रा. जठियापुर बुजुर्ग, पो. बड़ा गांव,
तहसील-पुवांया, जिला शाहजहांपुर (उ. प्र.)

(शेष पृष्ठ 34 पर)

बड़ा उपयोगी है मधुमक्खी पालन

अंकुश्री

बच्चा हो या बूढ़ा, रोगी हो या स्वस्थ—शहद सबको भाता है। मीठा शहद अनेक रोगों की दवा तो है ही, यह पूर्ण आहार भी है। अगर प्रातःकाल शहद के दो गिलास शर्बत पी लिये जाये तो दोपहर तक बिना कुछ खाए-पिए हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। मधुमेह के रोगियों को मीठी चीजें खाना वर्जित है। फिर भी शहद का वे बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। बल्कि शहद के उपयोग से मधुमेह के रोगियों में आवश्यक स्फूर्ति बनी रहती है।

शहद का उत्पादन कैसे किया जाए

लेकिन इतना उपयोगी शहद आये कहां से? बाजार में बिकने वाले शहद की शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ प्रतिष्ठानों का सीलबंद शहद बाजार में बिकता अवश्य है मगर वह इतना महंगा होता है कि उसका उपयोग अधिक से अधिक दवा के रूप में ही होता है, दैनिक व्यवहार में नहीं।

उचित मात्रा में शहद का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब इसका उत्पादन स्वयं किया जाए। यह बहुत कठिन भी नहीं है। मधुमक्खी पालन के लिये लकड़ी के बने बनाये बक्से मिलते हैं। एक रानी मक्खी सहित कुछ श्रमिक मक्खियों को बक्से में रख देने से वे छत्ते का निर्माण कर लेती हैं। मधुमक्खियां कहीं से पकड़ कर या खरीद कर लायी जा सकती हैं। पालने वाली मधुमक्खियां पेड़ के खोड़रों, मिट्टी के टीलों , खेत की मेढ़ों, मोटी दीवारों या झाड़ियों में मिलती हैं।

मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों के संबंध में कुछ जानकारी आवश्यक है। मधुमक्खियों का एक परिवार होता है, जिसमें नर मक्खियां होती हैं। ये मक्खियां मोम द्वारा स्वनिर्मित छत्ते में रहती हैं। नर मक्खियों का कुछ दिनों का ही अस्तित्व होता है। लेकिन उतने ही दिनों में वे काफी खाना खा जाते हैं। श्रमिक मक्खियां छत्ते का निर्माण करती हैं। भोजन, पानी और शहद लाती हैं। छत्ते की सफाई और सुरक्षा का जिम्मा भी उन्हीं का होता है। रानी मक्खी अण्डे देती है। जहां नया छत्ता या छत्ते का खाली कक्ष देखती है, वहां अण्डे दे देती है। अण्डों से 22 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। नर का विकास जल्दी ही हो जाता है। जब नयी रानी की आवश्यकता होती है तो 16 दिनों में उसका विकास कर लिया जाता है।

श्रमिक मक्खियां एक किलोमीटर की दूरी से भी शहद इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन जितने निकट स्रोत से वे शहद संग्रह करती हैं, उतनी ही जल्दी छत्ता भर जाता है और मक्खियों को अधिक परेशान नहीं होना पड़ता। मक्खियां जितना अधिक थकती हैं, वे उतनी ही जल्दी ही मर जाती हैं। इसलिए शहद संग्रह के मौसम से पूर्व छत्ते में पूरी मक्खियां रहने से अधिक शहद मिलता है।

मधुमक्खी पालन एक बक्से से भी शुरू किया जा सकता है। वैसे दो बक्सों से शुरू करना बेहतर होता है। मधुमक्खियां डंक मारती हैं। चेहरे को डंक से बचाने के लिये एक हैटनुमा जाली होती है और हाथों को बचाने के लिए दस्तानें पहन लिये जाते हैं। तेजधार का एक चाकू भी रखना आवश्यक है। छत्ते से शहद निकालने के लिए शहद निष्कासन यंत्र होता है जिसमें एक साथ मधुखण्ड के चार फ्रेम रखकर शहद निकाला जा सकता है लेकिन शहद तभी निकालना चाहिये, जब छत्ते में कम से कम 80 प्रतिशत प्रकोष्ठों का मुंह बंद रहे। अपरिपक्व छत्ते का शहद खट्टा होता है और रखने पर वह जल्दी सड़ भी जाता है।

सभी प्रकार के फूलों से शहद नहीं मिलता। पराग भी सभी फूलों में नहीं होता। मधुमक्खियों के भोजन के लिये परागवाले फूलों का होना जरूरी है। जिन फूलों में मकरंद (नेक्टर) होता है उन्हीं फूलों से शहद का निर्माण होता है। करंज, सरसों , आम, लीची, सैजन (मुनगा), सरगुजा, अमरूद, केला, सूर्यमुखी, आदि के फूलों से मधुमक्खियां शहद संग्रह कर लेती हैं। कुछ मौसमी फूलों से भी शहद मिलता है। शहद का स्रोत जितना अधिक निकट होता है, उतना ही जल्दी-जल्दी शहद संग्रह होता है और इससे अधिक मात्रा में शहद प्राप्त हो जाता है। मधुमक्खी पालन में यह जरूरी है कि कृषि-पुष्पों पर कीटनाशकों का छिड़काव न किया जाए। पौधे के तने या जड़ों पर छिड़काव किया जा सकता है। बक्से के निकट तेज गंधवाली चीजें, धुआं आदि न हो—इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

शहद संग्रह से पूर्व बक्से में मक्खियों का परिवार मजबूत रहे, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बक्से की रानी मक्खी नई-नवेली हो, अधिक से अधिक दो वर्ष पुरानी । इससे उसके अण्डे से तैयार बच्चे स्वस्थ होते हैं। पराग या मकरंद हर मौसम में उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मक्खियों को चीनी और पानी का घोल दिया जाता है, ताकि उन्हें भोजन का अभाव

नहीं खटकने पाये और प्रतिकूल मौसम में भी उन्हें भोजन मिलता रहे, चीनी का पचास प्रतिशत घोल बड़े मुंह की छोटी शीशी में रखकर ऊपर से मोटा कपड़ा बांध दिया जाता है। मधुखण्ड के ऊपर इस शीशी को उलट देने से मधुमक्खियां कपड़े के ऊपर से चीनी का घोल खा लेती हैं।

पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने पर श्रमिकों द्वारा नये छत्ते का निर्माण किया जाता है और रानी भी उसमें अण्डे देती रहती है। इससे बक्से के सभी फ्रेमों में छत्ते बना दिये जाते हैं और उनमें बच्चे तैयार हो जाते हैं।

छत्ते की सुरक्षा

मधुमक्खियों के छत्ते के अनेक शत्रु हो जाते हैं। चींटा, छिपकली, गिरगिट, एक प्रकार का पतंगा और कुछ पक्षियों से बक्से को बचाना पड़ता है। जंगली क्षेत्र में भालू भी बक्से को पलटकर शहद खा जाता है। चींटा, छिपकली और पतंगा आदि तो बक्से के अन्दर घुस जाते है, मगर गिरगिट, पक्षी आदि बाहर से ही प्रवेश द्वार के पास बैठकर मक्खियों को खा जाते हैं। क्वीन गेट लगाकर बक्से को अंदर घुसने वाले शत्रु से बचाया जा सकता है।

बक्से की सफाई भी दस दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। छत्ते में खासकर पुराने छत्ते में, एक प्रकार का कीड़ा लग जाता है, जिसे मोमी कीड़ा कहते हैं। इससे छत्ते में झिल्ली लग जाती है। ऐसे छत्ते को तोड़कर दूर फेंक दिया जाना चाहिये। ऐसे छत्ते को जमीन के अंदर दबा देना अच्छा होता है। बक्सा खोलने, बन्द करने या सफाई के दौरान मक्खियां दबें नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान की आवश्यकता यह है कि रानी सुरक्षित रहे। देखभाल और शहद निकालने के लिये दिन के उजाले में ही बक्से को खोला जाता है। यदि नई रानी की आवश्यकता नहीं हो तो बक्से में बने रानी के नए अण्डों को धीरे से तोड़ दिया जाता है। नर-कक्ष को भी हटाकर मधुखण्ड में लगा दिया जाता है।

चीनी का घोल देते समय यह सावधानी जरूरी होती है कि घोल बहकर बक्से में कहीं गिर न जाए। चीनी गिरने से चींटा लग जाता है और मक्खियां कमजोर पड़ जाती हैं।

मौसम के अनुसार बक्से की हिफाजत भी जरूरी है। अत्यधिक गर्मी पड़ने पर बक्से को सुविधानुसार पेड़ के नीचे या आसौरे में रख देना चाहिए। बरसात के दिनों में बक्से के ऊपर एक अस्थायी छज्जा बना देना चाहिए, जिससे प्रवेश द्वार पर पानी नहीं रहे। इससे मक्खियों को आने-जाने में आसानी होती है। बक्से आगे की ओर हल्की ढलान रखनी चाहिए, ताकि अंदर पानी जम सके। जाड़े में मक्खियों को ठंड से बचाना चाहिए बक्से झाड़ी की ओट में रखकर ऊपर से बोरा, मोटा कपड़ा घास-पुआल से ढककर मक्खियों को ठंड से बचाया जा सकता है।

मधुमक्खी पालन से मात्र शहद ही नहीं मिलता, इससे कीमत मोम भी मिलता है और अनेक जाति के पुष्पों में परागण भी जाता है, जो कृषि के क्षेत्र में बहुत मददगार होता है। अब य प्रमाणित हो चुका है कि कुछ पौधों में अच्छी खाद या बीज नहीं अपितु कीट परागण से ही उत्पादन बढ़ता है। पालतू मक्खिय का एक लाभ यह भी है कि इच्छानुसार बक्से को खेत में आसपास रखकर परागण का विशेष लाभ उठाया जा सकता है

पालक को कुछ दिनों में ही अंदाज हो जाता है कि पुष्प जल पर बैठी मधुमक्खी का छत्ता दूर है या निकट। भोजन जल लेकर मक्खी यदि यकायक ऊंचाई पर चली जाती है समझना चाहिए कि छत्ता कहीं निकट में ही है। यदि मक्ख धीरे-धीरे ऊंचाई पर जाती है तो समझना चाहिए कि उसका छ वहां से दूर है।

मधुमक्खी पालन में हमारे देश में पंजाब का स्थान सर्वोप है। 1976 में लुधियाना में दो व्यक्तियों द्वारा शुरू किया गया य व्यवसाय मात्र 15-20 वर्षों में बहुत फैल गया। इस राज्य प्रतिवर्ष 450 टन शहद का उत्पादन होता है और मधुमक्ख पालकों की संख्या चार हजार से ऊपर है। अन्य राज्यों में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, लेकिन इसका जो रूप पंजा में है, वही रूप पूरे देश में हो जाए तो शहद-उत्पादन के क्या कहने

हमारे यहां मुख्यतः तीन प्रकार की मधुमक्खियां पायी जा हैं--बड़ी, मझौली और छोटी। मझौली मधुमक्खी को प्राणीशास में एपिस इण्डिका कहते हैं। इसी मक्खी को बक्से में पाला जा है। इटैलियन मधुमक्खी को 1965 में भारत लाया गया। पंजा कृषि विश्वविद्यालय में प्रयोग के तौर पर लायी गयी इस मक्ख से शहद उत्पादन में एक क्रांति आ गयी।

पारंपरिक रूप से शहद-संग्रह के लिए मधुमक्खियों को छ से उड़ा दिया जाता है। लेकिन पालतू मक्खियां अपने बक्से ही रहती हैं और शहद निकाल लिया जाता है। पारंपरिक ढंग एकत्रित किये जाने वाले शहद की मात्रा भी प्रति छत्ता बहुत क

ोती है। बक्से से निकाले गए शहद में अण्डे-बच्चों का अंश नहीं हता, लेकिन पारंपरिक ढंग से निकाले जाने वाले शहद को चाहे जितना बचाकर एकत्रित किया जाये, उसमें अण्डे व बच्चों का ंश आ ही जाता है।

गुणकारी शहद बड़ा खुशबूदार और जायकेदार होता है। शहद ं 20 प्रतिशत पानी, 33 प्रतिशत ग्लुकोज, 38 प्रतिशत फ्रुक्टोज और नौ प्रतिशत अन्य लवण आदि पाये जाते है। इसमें कई तरह के विटामिन और खनिज लवण भी पाये जाते हैं जिनसे यह न केवल स्फूर्तिदायक होता है, बल्कि अनेक रोगों में फायदा भी हुंचाता है। इसके सेवन से आंखों की ज्योति भी बढ़ती है।

दो बक्सों से शुरू किये गये मधुमक्खी का एक साल में ही विस्तार किया जा सकता है। दोनों छत्तें मजबूत हो जाने पर फरवरी-मार्च या सितम्बर-अक्तूबर में उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तीन-तीन मीटर की दूरी पर बक्से रखे जा सकते हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग, रामकृष्ण मिशन आश्रम आदि संस्थानों द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु बक्सा और अन्य सामग्रियां, उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। नन्हीं मधुमक्खियों से हमें बुरे दिनों के लिए बचत की सीख मिलती है। इसी कारण डाक विभाग द्वारा बचत-बैंक के प्रतीक चिह्न के रूप में मधुमक्खी को चुना गया है।

वन भवन, डोरन्डा
(पो. बा. सं. 35)
रांची-834002

मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन बढ़ाने की नई योजना

कृषि मंत्रालय ने देश में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए लगभग 19 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मधुमक्खियों का पालन, आधारभूत सुविधाओं का विकास और अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करके शहद का उत्पादन बढ़ाना है। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि मधुमक्खी के परागण के कारण विभिन्न फसलों की पैदावार में 20 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। प्रकाशित सूचना के अनुसार आर्थिक महत्व की 12 फसलों की उपज मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर करती है।

इस योजना से बड़े पैमाने पर छत्तों के उत्पादन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आठवीं योजना के दौरान वितरण के लिए 4.5 लाख मधुमक्खियों के छत्ते बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए आठ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

घरेलू किस्म की मधुमक्खियों के एक छत्ते से केवल 6.67 कि.ग्रा. शहद प्राप्त होता है जबकि विदेशज मधुमक्खी के छत्ते से 80 से लेकर 200 कि.ग्रा. तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। शहद के उत्पादन बढ़ाने और रोग अवरोधक किस्म को बढ़ाने के लिए रानी मक्खी की नई प्रजातियों के विकास के लिए अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्यमियों को शहद खरीदने, उसके प्रसंस्करण और भंडारण की प्रत्येक परियोजना के लिए आसान किस्तों पर अधिकतम 20 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए छह करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

दीर्घावधि कार्यनीति के रूप में मधुमक्खी के छत्तों की देखभाल के लिए मधुमक्खी पालकों/किसानों और युवा उद्यमियों को दो विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक पाठयक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साभारः पत्र सूचना कार्यालय

स्वरोजगार के लिए

मधुक्खी-पालन

डा. सीताराम सिंह ''पंकज''
अध्यक्ष, जंतु विज्ञान विभाग, के. एस. आर. कालेज, सरायरंजन, समस्तीपुर

मधुमक्खी-पालन द्वारा ग्रामीण या शहरी महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर सकती हैं। इसी सम्बन्ध में यहां कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जा रही है।

मधुमक्खी पालन :

मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इससे मधु जैसे अमृततुल्य पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्द्धक और उपयोगी पदार्थ की प्राप्ति होती है। सच पूछिए तो मधु की मिठास और पौष्टिकता का कोई सानी नहीं है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मधुमक्खी पालन हर दृष्टि से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। सदियों से मानव मधुमक्खियों से प्राप्त शहद का उपयोग करता आया है। आज मधुमक्खी पालन एक लघु उद्योग की तरह विकसित हो रहा है।

विदेशों में भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से फल-फूल रहा है। भारत में अन्य लघु उद्योगों की तुलना में मधुमक्खी पालन का उद्योग काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह किसानों की आय में वृद्धि करता है। इतना ही नहीं छोटी मधुवाटिका रखने वाले किसानों को अंशकालीन रोजगार प्रदान करता है तथा कुछ सौ मधु उपनिवेशों वाली व्यापारिक मधुवाटिका रखने वालों को पूर्णकालीन रोजगार भी प्रदान करता है। मधुमक्खी पालन से शहद जैसा पौष्टिक खाद्य तो मिलता ही है, फसलों की पैदावार भी बढ़ जाती है।

पर-परागण के लिए उपयोग :

अनेक विकासशील देशों में फसल और फल वाले पौधों के पर-परागण के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अब यह प्रमाणित हो चुका है कि मधुमक्खियों द्वारा पर-परागित होने पर फसल की पैदावार में काफी वृद्धि होती है।

रूस, अमरीका, इंग्लैण्ड द्वारा किए गए कीट परागण परीक्षणों से यह स्पष्ट है कि शीत प्रदेशों में पैदा होने वाले फलों जैसे–सेब, नाशपाती इत्यादि में 70 गुना वृद्धि स्वपरागण की अपेक्षा मधुमक्खी द्वारा परागित होने पर होती है। फली वाली फसलों–बकला, बरसीम, सेम, बनमेंथी आदि की उपज में मधुमक्खी द्वारा परागित होने पर आश्चर्यजनक वृद्धि होती है।

भारत में पैदा होने वाली अनेक फसलों के लिए पर-परागण की आवश्यकता है। तिलहन फसलों–सरसों, रामतिल, कुसुम, सूर्यमुखी, तीसी; दलहन फसलों–अरहर, बरसीम, सींजी; भाजी वाली फसलों–खीरा, कद्दू, लौकी, करेला, गाजर, मूली, गोभी, प्याज, काशीफल; फल वाली फसलों–नींबू, संतरा, खरबूजा, तरबूजा, अमरूद, सेब, अनार, कपास, काफी जैसे उपयुक्त फसलों में बीज या फल की उत्पत्ति के लिए परागण करने वाले कीट या मधुमक्खी की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी द्वारा परागित होने पर पैदावार की वृद्धि होती ही है, साथ ही उन्नत किस्म के बीज और फल भी प्राप्त होते हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन कार्यक्रम वृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान द्वारा पिछले कई वर्षों से अनेक फसलों पर कीट परागण के प्रभाव का परीक्षण किया जा रहा है।

शोधकार्यों से यह ज्ञात हुआ है कि फसल की पैदावार वृद्धि में मधुमक्खियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत के 5 करोड़ हेक्टेयर भू-भाग में तिलहन, फली, दाल, सब्जी, इत्यादि फसलें पैदा होती हैं जो बीज या फल की उत्पत्ति के लिए कीट परागण पर निर्भर करती हैं। ऐसे में मधुमक्खी पालन एक लाभदायी व्यवसाय साबित हो सकता है।

रोचक जीवन चक्र :

मधुमक्खी पालन के लिये ''एपिस सेरेना इण्डिका'' जाति की मधुमक्खी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, 200-250 नर कीट तथा 12,000 से 15,000 तक श्रमिक कीट होते हैं। इनका जीवन चक्र काफी रोचक होता है। इनके समुदाय में श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है। तीनों प्रकार के कीटों का कार्य अलग-अलग होता है।

लकड़ी की पेटियां :

कृत्रिम विधि से मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी की मधुमक्खी पेटियां मिलती हैं। इन पेटियों तथा सम्बन्धित उपकरणों को खादी ग्रामोद्योग संघ की विभिन्न शाखाओं से रियायती मूल्य पर खरीदा जा सकता है।

मधुमक्खी पेटी को साफ-सुथरे स्थान (छायादार जगह) पर रखना चाहिए। आस-पास फूलों के बगीचे तथा जल के स्रोत होने चाहिये। प्रथम बार मधुमक्खी पालन आरम्भ करने से पूर्व मधुमक्खी पालक संघ के सदस्यों से सम्पर्क कर पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

उपलब्धियां :

भारत में 1.99 लाख मधुपालकों के पास 8 लाख मधुमक्खी उपनिवेश हैं, जिससे 8 करोड़ रुपये मूल्य का 45 लाख किलोग्राम शहद का वार्षिक उत्पादन होता है। सभी राज्यों में मधुमक्खी पालन का कार्य चलाया जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मधुमक्खी पालन घर-घर में किया जाए, जिससे कृषि पैदावार भी बढ़ सके और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो।

ग्रामीण विकास के लिए नये कदम

गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों, विशेषकर ग्रामीण रोजगार जुटाने के कार्यक्रमों पर 1993 से ही नया बल दिया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना का द्वितीय चरण देश के 120 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया है, जहां बेरोजगारी और गरीबी का प्रभाव सबसे अधिक है। योजना के इस चरण के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे जिला स्तर के अधिकारियों को दी जाती है ताकि वे जिला स्तर की योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। इस तरह के प्रयास से एक ही निर्धन समूह को लक्ष्य करके चलाई जाने वाली अनेक क्षेत्रीय गतिविधियों में समन्वय की संभावना बढ़ेगी।

गैर कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों को 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1,778 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों में सुनिश्चित रोजगार योजना चल रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य जोर मृदा और नमी संरक्षण के साथ जल संभर व्यवस्था के विकास को दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिला और ब्लाक स्तर पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके क्षेत्रीय समन्वय के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूरी के रूप में खाद्यान्न देने के लिए पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा रहा है। 1994-95 के दौरान इस योजना के लिए 12 अरब रुपये का आवंटन किया गया है। अभी तक ग्राम स्तर पर 34 हजार कार्य योजनाओं के जरिए इस योजना के अंतर्गत 64 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार जुटाया जा चुका है।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

ग्रामीण महिलाओं द्वारा मधुमक्खी पालन

नीलिमा कुंवर एवं एस० एम० डींगर
गृह विज्ञान विभाग
च० शे० आ० कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर-208002

भारत की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इसलिए हमारे देश की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। परन्तु पुराने तरीके पर आधारित होने के कारण कृषि से प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। आय को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि में विविधता लाई जाए। इसके लिए कुछ कृषि पर आधारित उद्योग जैसे हार्टिकल्चर (बागवानी), ओलरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, डेरी, मत्स्य पालन , कुकुरमुत्ता उद्योग, मधुमक्खी पालन व खरगोश पालन सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये सभी उद्योग ग्रामीण समुदाय के लिए उपयुक्त हैं। ये ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ स्व रोजगार के नये अवसर भी प्रदान करेंगे। इन सभी सहायक उद्योगों में से मधुमक्खी पालन एक ऐसा कार्य है जो कि कम खर्च पर उचित कीमत प्रदान करता है और महिलाएं इसे बड़ी आसानी से थोड़ी-सी जगह में कर सकती हैं। शहद की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

मधुमक्खी पालन क्या है?

मधुमक्खी पालन एक ऐसी कला है जिनमें मधुमक्खियों को सुव्यवस्थित छत्तों में रखकर उनसे इकट्ठा किया गया शहद, मोम और रायलजेली प्राप्त करते है। इससे पौधों में परागण भी कराया जाता है।

मधुमक्खी पालन छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों, बेरोजगार युवकों, छात्रों, खेतीबाड़ी करने वाली महिलाओं, नौकरी करने वालों व सेवानिवृत्त लोगों के लिए न केवल आय बढ़ाने का साधन है बल्कि उनको पूर्ण समय का स्व-रोजगार देता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खेती करने वाली बहुत सी महिलायें मधुमक्खी पालन में व्यस्त हैं तथा उनमें से कुछ का कार्य औद्योगिक स्तर पर चल रहा है।

अन्य कृषि आधारित उद्योगों से तुलना

मधुमक्खी पालन अन्य कृषि आधारित उद्योगों से तुलनात्मक नहीं बल्कि उनका पूरक होता है। इसमें कम लागत से अच्छा परिणाम मिलता है तथा इसके लिए न तो अधिक भूमि और न ही इसके लिए अधिक जगह चाहिए। शहद के साथ-साथ इसके द्वारा फल का लगभग 10 प्रतिशत परागण बढ़ जाता है।

मधुमक्खी पालन की शुरूआत

मधुमक्खी पालन एक नया उद्योग है। इसको शुरू करने के लिए समय, उचित जाति की मधुमक्खी, रोग और शत्रु तथा इसके परिवहन का ज्ञान होना आवश्यक है।

मधुमक्खी पालन शुरू करने का उचित समय

बसन्त का मौसम मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उचित समय है। वैसे वर्ष में फरवरी-मार्च और अक्तूबर-नवम्बर के माह में दो-बार इसको शुरू करने के लिए उचित समय माना जाता है।

उचित वातावरण

इटैलियन मधुमक्खी के पालन के लिए कृषि जलवायु की परिस्थितियां उचित हैं। शीत ऋतु मधुमक्खी के प्रजनन व भोजन इकट्ठा करने के लिए इतनी उचित नहीं है जबकि बड़े-बड़े छत्तों में प्रजनन साधारणतया चलता रहता है। दूसरी ओर ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खियां अधिक ताप में कार्य करने के लिए छत्तों में उचित स्थान रखती हैं। मधुमक्खी के लिए मानसून का मौसम कुछ अरूचिकर हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में भोजन की कमी के कारण अकाल महसूस किया जाता है तथा चीनी के घोल पर ये आश्रित रहती हैं।

आदर्श मधुमक्खियां :

मधुमक्खी की चार प्रमुख जातियों हयुमा, छोटी मक्खी और भारतीय मधुमक्खी जो कि स्वदेशी उत्पत्ति तथा चौथी इटैलियन मधुमक्खी जो कि विदेशी उत्पत्ति की होती है, पायी जाती हैं। डयुमा मक्खी अच्छा परिणाम देती है परन्तु इसका स्वभाव बहुत खराब होता है। छोटी मक्खी का उत्पादन बहुत कम होता है तथा इस पर स्थान बदलने का बहुत ही जल्दी असर पड़ता है। यह जाति पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देती है लेकिन गर्मी को बर्दाश्त

नहीं कर सकती है। इटैलियन मक्खी इन सभी बातों से मुक्त रहती है। इसका उत्पादन भी लगभग 50 किग्रा० प्रति कालोनी होता है और इसको उचित प्रभाव में बढ़ाया भी जा सकता है। इसीलिये ही कहा जाता है कि मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए इटैलियन मधुमक्खी ही आदर्श मक्खी है।

फूलदार स्थिति : लगभग 172 पौधों की जातियों पर मक्खी को देखा गया है लेकिन मुख्यतः नौ पौधों की जातियां, भारतीय सरसों, यूरोपियन सरसों, यूकेल्पिटस, नाशपाती, अमरीकी काटन, पीजन पी, इण्डियन रेपसीड, सूरजमुखी तथा दूवधौस, पराग व मधु से परिपूर्ण होने के कारण इस ग्रुप में आती है। इन पर अधिक से अधिक शहद का उत्पादन संभव होता है।

रोग व शत्रु : बाह्य परजीवी कीट इण्डियन मधुमक्खी की कालोनी को लगभग 24.6 प्रतिशत आकीर्ण करते हैं। पिछले दो वर्षों में सल्फर चूर्ण का प्रयोग करके इस हानि को केवल पांच प्रतिशत ला दिया गया है।

वैक्स माथ दूसरा मुख्य शत्रु है जो जुलाई से नवम्बर माह तक छत्तों को नुकसान पहुंचाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड तथा जलती हुई सल्फर के धुएं से इस प्रकार के वैक्स माथ को रोका जा सकता है। ब्राउन माथ की 10 प्रतिशत बी० एस० सी० छिड़ककर या जलाकर किया जा सकता है।

मधुमक्खी पालन से आर्थिक विकास

इस उद्योग को शुरू करने में लगभग न के बराबर ही खर्च आता है तथा एक महिला लगभग 100 कालोनी की आसानी से देखभाल कर सकती है। यदि महिला इसका संचालन स्वयं बिना श्रमिक के करती है तब उसकी मासिक आय लगभग 3000 रुपये प्रतिमाह होगी।

साक्षरता के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी एजेंसियों को पूर्ण सहायता

सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी एजेंसियों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। अभी तक, उन्हें कार्यक्रम लागत की शत प्रतिशत और प्रबंधकीय लागत की 75 प्रतिशत की सीमा तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस समय साक्षरता के क्षेत्र में कार्यरत लगभग 150 स्वयंसेवी एजेंसियां केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हैं।

इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में योजना को विकेन्द्रीकृत किया गया है। राज्य में परियोजनाएं स्वीकृत करने, अनुदान वितरित करने, निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी स्वयंसेवी एजेंसियों को सौंपी जाएगी।

आशा है इस कदम से स्वयंसेवी एजेंसियों की भागीदारी बढ़ाने और कार्यक्रम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

राज्य के संसाधन केन्द्रों को भी सुदृढ़ किया जाएगा और उन्हें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी। ये केन्द्र साक्षरता कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं, अभी तक इन केन्द्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा मिलकर उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक शास्त्र संस्थान भी कार्यक्रम का बाहरी मूल्यांकन करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में सतत प्रतिक्रिया एकत्र करने के कार्य में शामिल होंगे।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमः एक सिंहावलोकन

✍ डा० रवि शंकर जमुआर,
व्याख्याता, टी० एस० कालेज, हसुआ

भारत गांवों का देश है और यहां की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः देश की प्रगति और सुख-समृद्धि इसके गांवों तथा ग्रामीण जनसंख्या की उन्नति पर निर्भर करती है। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र सरकार ने गांवों के उत्थान को अपनी विकास योजनाओं में सर्वोच्च स्थान दिया। देश में जबसे पंचवर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश हुआ है तबसे लेकर अब तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी रहा है। इन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कई कार्यक्रमों को अपनाया गया ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए क्रियान्वित इन्हीं विभिन्न कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम - "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम" है।

ग्रामीण विकास के लिए यूं तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे सामुदायिक विकास परियोजना, पंचायती राज, एस० एफ० डी० ए०, एम० एफ० ए० एल०/डी० पी० ए० पी० और काम के बदले अनाज" आदि को लागू किया गया। लेकिन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में यह महसूस किया गया कि गांवों के विकास हेतु चलाए गए कार्यक्रमों का लाभ समाज के निम्न तथा कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है और केन्द्र सरकार के सतत् प्रयत्नों के वावजूद ग्रामीण जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और बेकारी आदि समस्याओं से अभिशप्त है। फलतः छठी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में इन समस्याओं के निदान हेतु पहली बार ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को मिलाकर एक समन्वित कार्यक्रम बनाया गया जिसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों का सृजन, प्रशिक्षण तथा वित्तीय अनुदान और सहायता आदि कार्यक्रमों को शामिल किया गया। यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसे आई० आर० डी० पी० भी कहते हैं।

उद्देश्य

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन् 1978-79 से आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आय मे वृद्धि करने वाली परिसम्पतियां देकर और ऋण तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे निर्धन परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा करना और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। गरीबी रेखा की अवधारणा मुख्य रूप से पौष्टिक आहार की मात्रा पर आधारित है अर्थात् एक परिवार द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली औसत कैलोरी की मात्रा ही गरीबी की रेखा का निर्धारण करती है। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 2100 कैलोरी के आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को कैलोरी की इतनी मात्रा प्रतिदिन उपलब्ध नहीं हो पाती है तो स्पष्ट है कि वह व्यक्ति अपना जीवन गरीबी की रेखा से नीचे व्यतीत कर रहा है। पौष्टिक आहार की मात्रा को रुपयों में परिणत कर गरीबी की रेखा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है - यदि किसी परिवार में 5 व्यक्ति हैं, और उसकी वार्षिक आय 3500 रुपये से कम है तो वह परिवार गरीबी की रेखा से नीचे माना जायेगा।

यद्यपि सातवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक आय की सीमा 3500 रुपये से बढ़ाकर 6,400 रुपये कर दी गयी थी, तथापि गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा 4,800 रुपये रखी गई और ऐसे ही परिवारों को सहायता पहुंचाकर उनकी वार्षिक आय को 6,400 रुपया वार्षिक करने का प्रयास किया गया।

लक्षित समूह

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों में लघु एवं सीमान्त किसान, कृषि-मजदूर और ग्रामीण कारीगर व शिल्पकार शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान निर्धनतम लोगों पर दिया जाता है। वर्तमान समय में यद्यपि गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए वार्षिक आय की सीमा 11,000 रुपये निश्चित की गई है, लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन ग्रामीण परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है जिनकी आय 8,500 रुपये वार्षिक से कम है। सबसे अधिक

प्राथमिकता 6,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को दी गई है। लक्षित समूहों में भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों, महिलाओं/मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों में से 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अवश्य हों। इसी तरह मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को भी सहायता देने में प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी को भी स्वीकार किया गया है और इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों में से 40 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए।

आर्थिक सहायता

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाती है जिससे कि वे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और अन्य ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सकें। ऐसे व्यवहार्य आर्थिक क्रिया-कलापों से जहां एक और उनकी वार्षिक आय में वृद्धि संभव होती है, वहीं दूसरी ओर इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दी गई वित्तीय सहायता अंशतः अनुदान और अंशतः वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के रूप में दी जाती है। ग्रामोत्थान की इस योजना में छोटे किसानों को उत्पादकता के साधनों पर जहां 25 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है वहीं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।

सब्सिडी प्रणाली

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अंतर्गत सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इस सब्सिडी प्रणाली के अनुसार छोटे किसानों को 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों, कृषि-मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को 33.3 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जबकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की व्यवस्था है।

ट्राइसेम

ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अंतर्गत सरकार गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों में से प्रशिक्षार्थियों का चुनाव करती है और उन्हें सिलाई/बुनाई काश्तकारी, बिजली के उपकरणों तथा मोटरगाड़ी और स्कूटरों की मरम्मत आदि का प्रशिक्षण देती है। एक परिवार से एक ही प्रशिक्षार्थी का चुनाव किया जाता है और उसे प्रशिक्षण की अवधि में भत्ता भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को सरकार कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है जो सब्सिडी और औजार के रूप में दी जाती है।

जवाहर रोजगार योजना

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से दो कार्यक्रमों—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लागू किया गया था जिन्हें सन् 1989 में मिलाकर एक नये कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना की घोषणा की गई। यह योजना अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्त का 80 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार और 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

निष्पादन मूल्यांकन

सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था जबकि इस योजनावधि में केवल सब्सिडी के रूप में 3,316 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। वास्तव में इस कार्यक्रम पर सातवीं योजना में कुल 8,688 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

खामियां

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वास्तव में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास के लिए एक सार्थक प्रयास है जिसका संबंध मुख्य रूप से निर्धनता उन्मूलन से है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाये गये ग्रामीण निर्धन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास प्रोत्साहित होता है। लेकिन खेद की बात तो यह है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर अत्यधिक धन राशि विनियोजित

करने के बावजूद इसका लाभ ग्रामीण निर्धन वर्ग को प्राप्त नहीं होता है या फिर आंशिक रूप से ही प्राप्त होता है। वास्तविकता तो यह है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बहुत बड़ी मात्रा में धन व्यय करने के बावजूद आज भी हमारा ग्राम्य समाज निर्धनता से उबर नहीं सका है और वह अशिक्षा, बीमारी और बेकारी जैसी मूलभूत समस्याओं से जकड़ा हुआ है। अतएव ये तथ्य इंगित करते हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कहीं-न-कहीं कुछ खामियां अवश्य हैं। यदि इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान दें तो इसमें निम्नलिखित कमियों का अहसास होता हैं :

पहली कमी तो यह है कि गरीबी की रेखा का निर्धारण तर्कसंगत तथा न्यायोचित नहीं है क्योंकि इस आधार पर चुने गए परिवार प्रायः निर्धन वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

दूसरा यह कि लक्षित वर्ग के परिवारों की चयन प्रणाली दोषपूर्ण है जिसके कारण निर्धन परिवारों के स्थान पर प्रायः समाज के प्रभावशाली व्यक्ति नाजायज तरीकों से अपने निजी संबंधियों या व्यक्तियों के नाम पर वित्तीय सहायता लेने में सफल हो जाते हैं।

तीसरा यह कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान और ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि अल्प और सीमित मात्रा में होती है और वह भी अल्प अवधि के लिए ही होती है। ऐसी स्थिति में निर्धन लोगों को निर्धनता-रेखा से ऊपर उठाना एक कोरी कल्पना ही कही जा सकती है।

अंतिम कमी के रूप में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण निर्धन वर्ग में जागरूकता का अभाव होने के कारण वे अपनी समस्याओं और अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं, फलतः ऐसी व्यवस्था में उन्हें उनकी ही योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

इसी तरह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली "ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम" और "जवाहर रोजगार योजना" की भी अपनी-अपनी कुछ कमजोरियां है जिसके चलते इन कार्यक्रमों का सफल संचालन नहीं हो पाया है। जहां तक स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रश्न है तो इस कार्यक्रम की कमी यह है कि प्रशिक्षक के रूप में अच्छे काश्तकारों तथा शिल्पकारों का अभाव है। इसका कारण यह है कि अच्छे काश्तकारों को डर है कि कहीं भविष्य में उन्हें अपने ही प्रशिक्षित कारीगरों से प्रतियोगिता का सामना करना न पड़ जाए। जवाहर रोजगार योजना की कमी यह है कि यह गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों की आय में वृद्धि करने में असफल रहा है।

आठवीं योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में जहां अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन कर उसे एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है, वहीं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भी नए और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आठवीं योजना में ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण निर्धनता को दूर करने पर विशेष बल दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना को भी लचीला बनाते हुए उसके लिए अधिक कोष का आवंटन किया गया है। पिछड़े हुए जिलों के विकास के लिए अधिक साधनों की व्यवस्था की गई है और मिट्टी कटाव, बंजर तथा परती भूमि के उपयोग और विकास, जल संरक्षण और सिंचाई, ग्रामीण सड़कों तथा घरों का निर्माण आदि कार्यक्रमों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य रूप से और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विशेष रूप से महत्व प्रदान किया गया है।

सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्रगति से विकास केवल विनियोग की बड़ी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यह सच है कि विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक पहलू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसके साथ-साथ समाजिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब तक हमारे देश में आर्थिक पहलुओं को ही महत्व दिया गया है और सामाजिक पहलुओं की अवहेलना की गई है। यही कारण है कि योजनाओं को आंशिक रूप से ही सफलता मिली हैं अतः आवश्यकता इस बात की है कि योजना बनाने की नीति में परिवर्तन लाया जाए और सामाजिक क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान दिया जाए। इस परंपरागत विचार का भी त्याग किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र की विकास दर अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी होती है। शिक्षा का विस्तार (विशेषकर महिलाओं में), चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और जनसंख्या नियंत्रण का सुझाव इस संदर्भ में दिया जा सकता है। ऐसा करने से ग्रामीण लोगों की सोच में परिवर्तन होगा और उनमें जागरूकता पैदा होगी जो उन्हें समृद्धि के पथ पर आगे ले जाएगा।

शेष पृष्ठ 31 पर

ग्रामीण विकास : आवश्यक क्यों

डा० संजय आचार्य

ग्रामीण विकास को यदि हम संकुचित अर्थ में लें तो कह सकते हैं कि मात्र कृषि उत्पादन में वृद्धि ग्रामीण विकास है। यह व्याख्या निश्चित रूप से 'ग्रामीण विकास' शब्दांश को कृषि क्षेत्र तक ही सीमित करती है। मात्र कृषि के उत्पादन को बढ़ाने से ग्रामीणों को सशक्त विकास क्रम में खड़ा नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण विकास को हमें ग्रामीणों की सर्वांगीण उन्नति के दृष्टिकोण से आंकना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के कुल जीवन में गुणवत्ता में सुधार, ग्रामीण विकास का लक्ष्य है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि भारत को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले गांव को मजबूत करो। ग्रामीण विकास को विकास की एक शक्तिमान प्रक्रिया मानना होगा।

हमें ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रहण करने हेतु एक व्यापक और सार्थक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। ग्रामीण विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे कि कृषि का सम्पूर्ण विकास कर उत्पादन में तेजी से वृद्धि अंकित की जा सके। ग्रामीण विकास के नवीन व्यापक अर्थ में इसके अंतर्गत सिंचाई, विद्युत और भूमि सुधार को भी शामिल करना होगा। रोटी, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को स्थानीय साधनों के माध्यम से पूरा करके ही द्रुत गति से ग्रामीण विकास संपन्न किया जा सकता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जोर रोजगार के अवसर बढ़ाकर गरीबी पर सीधे प्रहार करना है।

ग्रामीण विकास आज अनिवार्य ही नहीं अपरिहार्य है क्योंकि आजादी के 47 वर्षों के बाद आज भी हमारे गांव उपेक्षित से हैं। ग्रामीण विकास 'ग्रामीण गरीबों' के आर्थिक और सामाजिक जीवन के विकास का ढांचा तैयार करता है। अतएव एक सशक्त ग्राम विकास नीति का होना अनिवार्य है। ग्रामीण गरीबी और अशिक्षा ऐसे कारण हैं जो सम्पूर्ण ग्रामीण विकास को अवरुद्ध किए हुए हैं। इसलिए देश की आर्थिक विकास योजनाओं में ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण स्थान देना आवश्यक है। ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि लाई जा सकती है और विकास की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी बढ़ायी जा सकती है। भारत के दृष्टिकोण से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत गांवों का देश है। आज भी भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन का पर्याय है क्योंकि गरीबों का बहुमत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इस दृष्टिकोण से देश की योजनाओं में ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। देश में जिस गति से शहरीकरण में वृद्धि हो रही है वह चिंतनीय है। सन् 1991 की जनगणना में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 23 है जबकि सन् 1951 में यही प्रतिशत 17.8 था। इस शहरीकरण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि गांवों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे शहर ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित न कर सकें। प्रस्तुत तालिका भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के विभेद का स्पष्टीकरण करती है:

भारत की ग्रामीण/शहरी जनसंख्या

जनसंख्या वर्ष	कुल जनसंख्या में प्रतिशत		कुल
	ग्रामीण	शहरी	
1951	82.92	17.8	100
1961	76.00	24.00	100
1971	76.23	23.77	100
1981	77.00	23.00	100
1991	77.00	23.00	100

उपरोक्त तालिका के निरीक्षण से एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में मानव संसाधन बहुमत सदैव ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है तथापि विकास के अधिसंख्य लाभ शहरी क्षेत्रों को गए हैं। देश की कुल आय का दो तिहाई भाग शहरों पर और एक तिहाई भाग ग्रामों पर व्यय होता है जबकि देश की कुल जनसंख्या का तीन चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इस दोहरी अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत गांव और शहरों के बीच विभिन्न असमानताओं का वितरण निश्चय ही चिंताजनक है। देश में उत्पन्न की जाने वाली विद्युत का 18 प्रतिशत भाग गांवों को मिलता है और 23 प्रतिशत की जनसंख्या वाले शहर इसके 82 प्रतिशत भाग का उपयोग करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी कमोवेश यही स्थिति विद्यमान है। स्वतंत्रता के 47 वर्षों के बाद भी आज हमारे गांव उपेक्षित से हैं।

ग्रामीण विकास की जब विस्तृत विवेचना की जाती है तो इसके

अंतर्गत हमें मात्र कृषि उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहना है। वरन् कृषि साख, विद्युतीकरण, कुटीर उद्योग और पशुपालन क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत लाना होगा। ग्रामीण विकास इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इसके माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीणों की आय में वृद्धि की जा सकती है वहीं राष्ट्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान की जा सकती है। आर्थिक विकास के लाभ शहरों की तुलना में ग्रामीणों को अल्प मात्रा में ही प्राप्त हो सके हैं। ग्रामीण विकास का वास्तविक अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके अंतर्गत हमें कृषि साख और आधारभूत सुविधाओं को प्रधानता देनी होगी। चूंकि हम औद्योगिक युग में रह रहे हैं अतः यह आवश्यक है कि ग्रामोद्योगों को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियों का निर्माण करना चाहिए। यह तभी संभव है जब गांवों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएं। ग्रामीण औद्योगीकरण से जहां ग्रामों में रोजगार की उपलब्धि होगी वहीं ग्रामीण गरीबी को भी कम किया जा सकता है। गांव में उपलब्ध कच्चे माल के बिखरे स्रोतों का संयोजन करके उससे विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। जिससे गांवों में अर्द्ध बेरोजागरी की समस्या का निवारण किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रामीण समाज के सीमान्त वर्ग के पास पशुपालन आदि पूरक धंधे भी होने चाहिए जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें। उपरोक्त नीतियों के व्यावहारिक क्रियान्वयन से निश्चय ही ग्रामीण विकास होगा।

ग्रामीण विकास को आज हमें एक कार्यक्रम ही नहीं वरन् आंदोलन के रूप में अपनाना होगा। ग्रामों का सुनियोजित विकास कर हम निश्चय ही गांधी जी के सपनों को साकार रूप दे सकते हैं और उनके सपनों के भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। यह सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल और प्रभावी निष्पादन पर निर्भर है। ग्रामीण विकास को समग्र रूप से प्राप्त करने हेतु मात्र कृषि को ही आधार न बनाकर इसमें पशुपालन, सहकारिता और कृषि साख को सम्मिलित करके निश्चय ही सुदृढ़ आकार दिया जा सकता है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया से दो लाभ तत्काल प्राप्त होते हैं।

(1) स्वावलम्बन की प्रक्रिया का प्रसार।

(2) शहरों की ओर पलायन रोकना।

उपरोक्त वर्णन यह सिद्ध करता है कि 'ग्रामीण विकास' की नीति ही विकास की वास्तविक नीति है। इस नीति के सफल प्रयोग से ही ग्रामीण गरीबों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांति लाई जा सकती है और इसी परिवर्तन से ग्रामीण जन-जीवन की तस्वीर को कुछ अधिक चमकीला बनाया जा सकता है।

279, शनीचरी
सागर (म. प्र.)

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिये। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होगा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', 467, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 के पते पर भेजें।

कहानी

सज़ा

✍ रमेश चन्द्र पारीक

शहर के कोलाहल व भीड़भाड़ भरे माहौल से दूर एक कच्ची बस्ती जहां न पक्की सड़कें हैं न नल, किंतु बिजली जरूर है। इस बस्ती में एक झोंपड़ी है – कालू की। कालू लकड़हारा है। रोज कुआं खोदता है और ताजा पानी पीने वाला है। मेहनती है किन्तु नासमझ भी। रोज कुल्हाड़ी लेकर सवेरे जंगल में जाता है, दोपहर तक सिर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध कर लाता है। शहर के जरूरतमंद लोगों की खिदमत में अपने पसीने की कीमत जो मिले, हंसी-खुशी ले आता है। पत्नी व बच्चों का भरण-पोषण करता है। रोजमर्रा की यही दिनचर्या बन गई है - कालू की।

कालू रोज की तरह कांधे पर कुल्हाड़ी धरकर जंगल में गया। आज उसने डालियां व शाखाएं न काटकर एक नीम के पेड़ के तने को ही काटने का मन बनाया। उसने एक दो वार किए होंगे तभी एक ऐसी घटना घटी कि कालू अचंभित हो गया। उसकी कुल्हाड़ी मानो तने से चिपट गई हो जोंक की तरह, उठ नहीं रही थी और उसे लगा मानो उसका दम निकला जा रहा हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे सुनाई दिया - "ठहरो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम भी सजीव हैं, हम में भी तुम्हारी तरह प्राण हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। कटने पर दुख होता है। हम तो तुम्हारे लिए इस संसार में खड़े हैं।" धीरे-धीरे कालू की पलकें खुलीं तो उसने अपने आपको जंगल में नहीं बल्कि पारिस्थितिक एवं पर्यावरण अदालत में एक बंदी की तरह खड़ा पाया।

फरियादी नीम ने आंसू टपकाते हुए कहा - "महाराज, यही है वो बेदर्द इंसान, दरिंदा शैतान जिसने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे जान से मारने की कोशिश की।" कालू की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह डर के मारे कांप रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, गला रुंध गया था। वह कैदी व अपराधी जो बन गया था। पर्यावरण संरक्षण व चेतना के सभी संतरी व मंत्रीगण कहने लगे- "महाराज, इसने धीरे-धीरे करके हमारे वंश तक को समाप्त करने का दुस्साहस किया है। बस्ती के आसपास के घने जंगल को प्रतिदिन काट काट कर साफ कर दिया है। फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई। इसे नियमानुसार कठोर सजा दी जाए।"

आम, अशोक अमरूद, खजूर, पपीता, आड़ू, पीपल, नीम, बरगद, कदम्ब, गुलमोहर, देवदार, छीला, साल कीकर, शीशम, चीड़, बबूल, खेजड़ा, सफेदा के पेड़ अपनी-अपनी दास्तान सुना रहे थे। सभी दुखी व त्रस्त थे कि ये कालू कितना स्वार्थी है। अपने सुख के लिए हमारा अस्तित्व मिटा रहा है। यह मानव नहीं, दानव से भी बढ़कर है। तभी जंगल के बाशिंदे शेर, लोमड़ी, चीता, तेदुंआ, हाथी, हिरन, भालू, नीलगाय, सांभर, बंदर आदि भी पारिस्थितिक अदालत में आ पहुंचे। सबके चेहरे पीले नजर आ रहे थे। वे सभी आतंकित थे कि ये कालू धीरे-धीरे जंगल साफ कर रहा है। अब हम कहां रहेंगे? हमारा जीवन खतरे में पड़ गया है। हमारी दिन की नींद व रातों का चैन हराम हो गया है। इसलिए हुजूर से हम सब अपने जीवन की सुरक्षा की भीख मांगने व इंसाफ चाहने आए हैं। थोड़ी देर में पक्षियों के झुंड भी उड़ते-उड़ते वहां आने लगे। अपने-अपने घर उजड़ने की कहानी सुनाने लगे। चारों ओर त्राहि-त्राहि का स्वर गूंजने लगा।

पारिस्थितिक न्यायाधीश ने मामले की गहराई और तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद पाया कि वास्तव में कालू एक मुजरिम है, आदतन अपराधी है। इसने पशुओं-पक्षियों, पेड़-पौधों सभी पर जुल्म ढाए हैं। उन्हें घर से बेघर करने की गुस्ताखी की है। पेड़-पौधों को सताया है। इसने वनस्पति जगत को असंतुलित बना दिया है। वृक्षों का बेरहमी से अपने मतलब के लिए, सफाया किया है। इसे तो वास्तव में दुनिया की कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।

माननीय न्यायाधीश में फैसला सुनाते हुए कहा - "रे कालू, तूने प्रकृति संतुलन को बिगाड़ा है। पर्यावरण को प्रदूषित बनाया है। ध्वनि प्रदूषण को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया है। अब धूल व धुएं से तेरा दम घुटता रहेगा। दौड़ते वाहनों व गाड़ियों के शोर व कार्बन (धुयें) से तुझे अशांति और बेचैनी मिलेगी। तुम मीठे, स्वादिष्ट, रसीले फलों के लिए मोहताज हो जाओगे। तुम्हें गुणकारी दवाएं, जड़ी-बूटियां, यहां तक कि दातुन (नीम, बबूल आदि) भी नहीं मिलेगी। जिस तरह तुम्हारे स्वार्थ जो सारे वनस्पति-जगत में त्राहि-त्राहि मचा दी उसी तरह आने वाले कल में इसी वनस्पति जगत के अभाव में तुम भी त्राहि-त्राहि करोगे। वृक्ष बहुत उपयोगी हैं। पूजनीय (पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी आदि) हैं। आश्रयदाता हैं। जीवन-रक्षक दवाओं, जड़ी-बूटियों के खजाने हैं।

मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक हैं। वर्षा करने में मददगार हैं। तुम्हारी सुविधाओं की पूर्ति के लिए सभी अंगों का बलिदान करते हैं किंतु तुमने इनकी बेवजह अंधाधुंध कटाई करके स्वयं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। अब तुम्हारा ही अहित होगा। तुम चिंतित रहोगे, संकट से ग्रस्त रहोगे, तुम अपनी सुविधाओं की चीजों के लिए भी पल-पल तरसोगे।

कालू गिड़गिड़ाते हुए माननीय पारिस्थितिक न्यायाधीश के पांव पकड़ कर रोते-रोते कहने लगा - "श्रीमान! बस मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दीजिए। मैं फिर कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि प्रतिवर्ष 50 नए पौधे लगाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उन्हें पूरा संरक्षण दूंगा। उन्हें खाद व पानी दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद किसी भी हरे दरख्त को नहीं काटूंगा चाहे मैं भूख से तड़प कर अपने प्राणों का उत्सर्ग क्यों न कर दूं। मैं आजीविका के लिए कोई दूसरा काम तलाश करूंगा। मैं अब वातावरण को और प्रदूषित नहीं करूंगा।"

अदालत में उपस्थित पेड़-पौधों, पशु-पक्षिओं ने कहा - "श्रीमान, ये इंसान जब अपना गुनाह कबूल कर रहा है और प्रायश्चित कर रहा है तो फिर हम सबकी ओर से आपसे विनम्र निवेदन है कि इसकी सजा के बारे में पुनर्विचार करने की अनुकम्पा करें। इसे एक मौका देने की कृपा करें।"

तभी कालू बीच में कहने लगा - "माननीय न्यायाधीश तथा उपस्थित समस्त सज्जनो, वनस्पति जगत के कर्णधारो, मैं यह भी प्रण लेता हूं कि मैं वातावरण व पर्यावरण को फिर से हरा-भरा व शुद्ध बनाने के लिए आसपास की खाली जगह में यथाशक्ति पेड़ लगाऊंगा। मोहल्ले व रास्तों के दोनों ओर फलदार, छायादार वृक्ष लगाऊंगा। मैं घर के खुले आंगन में हजारा, गुडहल, गुलाब, चंपा, रातरानी, चमेली, मोगरा आदि के पौधे लगाऊंगा। लोगों को नए पेड़-पौधे लगाने की सलाह दूंगा। उनकी मदद तन-मन-धन से करूंगा। हरी-हरी घास से लान सजाऊंगा।"

पारिस्थितिक न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए नरमाई के साथ कहा : "कालू ठीक है, हम तुम्हारी सद्‌भावना की कद्र करते हैं, तुम्हारे संकल्प पर इत्मीनान रखते हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हैं। यदि तुम अपने प्रण व संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील व सक्रिय बने रहोगे तो आज हम भी तुम्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि तुम्हें सजा से बाइज्जत बरी कर देंगे।"

इतना सुनने के बाद कालू की आंखों के आगे से दृश्य हट गया। वह हड़बड़ा गया। उसने सोचा, मनन किया। वह सपना नहीं, सच था। झटपट उसने कुल्हाड़ी को नीम के तने के बाहर निकाला और खाली हाथ घर लौट आया। पत्नी से कहा : "प्रिये आज से मैंने प्रण किया है कि अब मैं वृक्ष नहीं काटूंगा बल्कि नए पेड़-पौधे लगाऊंगा। वृक्षों का संरक्षण करूंगा। घर-आंगन, गली-मौहल्ला, पार्क, जंगल में वृक्ष लगाकर धरती को हरी-भरी रखूंगा। हम वातावरण को शुद्ध बनाकर जीवन में सच्ची खुशहाली लाएंगे। वरना हमारे कर्मों की सजा हमारी आनेवाली संतानें भोगेंगी। हम आनेवाली पीढ़ियों को कभी भी ऐसी सजा भुगतने नहीं देंगे।"

केन्द्रीय विद्यालय न० 1,
मोती डूंगरी के नजदीक,
अलवर (राजस्थान) 301001

पाठकों के विचार

इस पत्रिका में "पाठकों के विचार" स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। ये विचार दो सौ शब्दों से अधिक के न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, कमरा न० 467, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 के पते पर भेजे जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा परंतु उन पाठकों को पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे।

–सम्पादक

आर्थिक विकास का मूल आधार

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की सुदृढ़ता

कु. प्रीति खन्ना

भारत गांवो में बसता है। देश की लगभग 77 प्रतिशत जनता 5.75 लाख गांवों में अपनी गुजर-बसर कर रही है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था समूची अर्थ व्यवस्था की धुरी है, जिसके इर्द-गिर्द सम्पूर्ण विकास चक्कर काटता है। वर्तमान में जब समूचे विश्व में साम्यवाद की समाप्ति, आर्थिक प्रतिबन्धों की समाप्ति, निजीकरण को बढ़ावा, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन पर छूट, नई तकनीक के प्रयोग एवं औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो ऐसे में निसंदेह कुछ प्रश्न उठते हैं :-

(i) क्या इससे अर्थ व्यवस्था का संतुलित विकास संभव हो सकेगा?

(ii) क्या शहरी एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के मध्य बढ़ता अन्तर कम हो सकेगा?

(iii) क्या गांधीजी के ग्राम-स्वराज की कल्पना साकार हो सकेगी?

(iv) क्या ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा व अन्धविश्वास दूर हो सकेंगे?

उपर्युक्त प्रश्न इस बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज भारतीय अर्थ व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए सर्वाधिक महत्व किस बात पर दिया जाए, वर्तमान व्यवस्था को ही चलने दिया जाए या फिर भारत का विकास भारत की ही तर्ज पर किया जाये?

ग्रामीण विकास बनाम शहरी विकास

भारतीय अर्थ व्यवस्था में एक विचित्र विरोधाभास देखने को मिलता है, यहां पर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था बनाम शहरी अर्थव्यवस्था की धारणा का विकास हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, किंतु यह भी एक कटु सत्य है कि आज ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास के मध्य विशाल असमानताएं देखने को मिलती हैं। जहां देश की सर्वाधिक मानवीय सम्पदा गांवों में बसती है, अधिकांश उत्पादक ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन में ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक उपभोक्ता विद्यमान हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहां ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात 83:17 था, आज वह 77:23 हो चुका है। यह तथ्य इस बात को प्रकट करता है कि पिछले चार दशकों में देश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर तेजी से जनसंख्या पलायन बढ़ा है इससे जहां शहरी अर्थ-व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में असंतुलन बढ़ा है वहीं शहरीकरण की समस्या ने जन्म लिया, जिसके साथ अन्य कई छोटी-बड़ी समस्याओं जैसे कीमत वृद्धि, नैतिक पतन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी बेरोजगारी आदि का जन्म हुआ है। यह भी एक विडम्बना ही है जहां आज शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि उनको प्राप्त करने हेतु भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। देश में विकास के नाम पर कई कार्यक्रम शुरू किये गये, जिनके परिणाम भी सामने आने लगे हैं किंतु ग्रामीणों को इन कार्यक्रमों का वांछित लाभ नहीं मिल पाया है। कारण कि विकास रूपी बांध का पानी शहरों में ही केन्द्रित हो चुका है , ग्रामीण क्षेत्रों में उसका बहुत कम हिस्सा पहुंच पाता है। उन क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न है कि अधिकांश परिवार दो वक्त का खाना मुश्किल से जुटा पाते हैं। शहरी जीवन जहां विलासमय है, वहीं ग्राम्य जीवन कठोर श्रम प्रधान। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का विशिष्ट महत्व रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में स्थिति उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, जो निर्मित माल के रूप में वितरित किया जाता है। देखा जाए तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों परस्पर पूरक हैं अर्थ व्यवस्था के समग्र विकास के लिये आवश्यक है कि ग्रामीण एवं शहरी विकास में संतुलन स्थापित किया जाए, किंतु आज भारत जैसे विकासशील देशों में विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। शहरों में जहां विकास की दर अत्यधिक देखने को मिलती है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अत्यंत निम्न है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

ग्रामीण विकास : विभिन्न समस्याओं की रामबाण औषधि

भारतीय अर्थ व्यवस्था आज कई आर्थिक, सामाजिक और

राजनैतिक समस्याओं से ग्रसित है। विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विगत वर्षों में कई प्रयास गये हैं किन्तु समस्याओं का अभी तक पूर्णतः समाधान नहीं हो सका है, समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीण विकास रूपी उपकरण का उपयोग का अभी तक व्यवहार में नहीं लाया गया है, यदि ग्रामीण विकास के द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए तो निसंदेह यह रामबाण औषधि का कार्य करेगा।

आज भारतीय अर्थ व्यवस्था बेरोजगारी की समस्या का विशेष रूप से सामना कर रही है, इसकी तह में जाए तो हम पाते हैं कि देश में लोगों का रुझान कुछ ही कार्यों की ओर बढ़ा है। ग्राम एवं कुटीर उद्योगों का या तो विकास किया ही नहीं या फिर क्षेत्र अत्यधिक उपेक्षित रहा, जबकि इसमें रोजगार की प्रबल संभावनायें हैं। यदि ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करते हुए उनके लिए आकर्षण उत्पन्न किया जाए तो बेरोजगारी एक सीमा तक दूर की जा सकती है।

धन का केन्द्रीकरण भी अर्थ व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण समस्या है, कारण कि कुछ वृहद उद्योगों पर केवल मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व हो चुका है, दूसरी ओर जनसंख्या का विशाल भाग शोषित वर्ग के रूप में जीवन यापन करने को मजबूर है, ग्रामीण विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिये जाने पर धन का विकेन्द्रीकरण संभव हो सकेगा।

ग्रामीण विकास से देश में बढ़ती हुई कीमतों को नियन्त्रित करने में भी सहयोग मिलेगा, यदि ग्रामीण जनसंख्या को गांवों में ही रोजगार मिल जाता है और वह अपनी आवश्यकता की वस्तु गांवों में ही बनाती तथा बेचती है तो मूल्य वृद्धि पर अंकुश लग सकेगा।

देश में बढ़ता शहरीकरण आज एक विकट रूप धारण कर चुका है, गांव के गांव नष्ट होने लगे हैं, गांवों से प्रतिभा पलायन शहरों की ओर होने लगा है, इन सबने शहरी जीवन को अत्यधिक महंगा व तनावग्रस्त बना दिया है। यदि ग्रामीण विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए तो इससे जहां ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन कम होगा वहीं शहरीकरण जैसी समस्या का समाधान सम्भव हो सकेगा।

समग्र विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि अर्थ व्यवस्था में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, भारत में आज असंतुलित विकास देखने को मिलता है। यद्यपि योजनावधि में संतुलित विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया किंतु ग्रामीण अर्थ व्यवस्था आज भी पिछड़ी हुई स्थिति में है। ऐसे में ग्रामीण विकास की अवधारणा पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है। वास्तव में भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का होना कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है किन्तु इनके समाधान के लिए ग्रामीण विकास का फार्मूला ही वर्तमान सन्दर्भ में अधिक प्रासंगिक व समीचीन जान पड़ता है।

ग्रामीण विकास में बाधाएं

भारत में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था आज विभिन्न बाधाओं का सामान कर रही है जो निम्न प्रकार है :

(i) ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मूल आधार कृषि है और भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। कृषि क्षेत्र हमेशा अनिश्चितता में रहता है, कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि, ऐसे में कृषकों की आय का सही-सही अनुमान लगाना असंभव नहीं हो पाता।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अशिक्षा का साम्राज्य है। शिक्षा के अभाव में भारतीय ग्रामीण खेती के नये तरीकों और विधियों को नहीं जान पाते। वे स्वयं को अंधविश्वास से मुक्त करने में असमर्थ रहते हैं। आज भी किसी भयानक बीमारी की स्थिति में दवा के स्थान पर झाड़-फूंक में अधिक विश्वास किया जाता है।

(iii) ग्रामीण विकास में आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। आज भी गांवों में बिजली, सड़कों, पेयजल, संचार और बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है।

(iv) ग्रामीण विकास की समस्या का एक दर्दनाक पहलू यह है कि ग्रामीण अंचलों से चुनकर आने वाले हमारे प्रतिनिधि शहरों में ही अपना स्थायी निवास बना लेते हैं, वह अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था भी शहरों में ही करते हैं और ग्रामीण विकास की कठिनाइयों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं।

(v) ग्रामीण विकास हेतु बनाई जाने वाली योजनायें केन्द्र या राज्य के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बनाई जाती हैं। हजारों मील दूर ग्रामवासियों के लिए योजनायें यदि इस प्रकार बनाई जायेंगी तो समाधान कागजों तक तो संभव हो सकता है। ग्रामीण समस्याएं व्यवहार में तो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी।

(vi) ग्रामीण विकास में कई अन्य बाधायें भी प्रमुख हैं जिनमें ग्रामीणों की क्रय शक्ति का अत्यधिक कम होना, बेरोजगारी की प्रधानता, औद्योगीकरण का अभाव, बढ़ती जनसंख्या एवं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर वर्तमान पीढ़ी का उपेक्षित भाव मुख्य हैं।

इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार गांव हैं। गांवों की उपेक्षा करके हम देश का विकास नहीं कर सकते। ग्रामीण सभ्यता एवं संस्कृति की उपेक्षा कर भारत अपना वास्तविक स्वरूप खो देगा, भारत की पहचान उसके गांवों से है, ऐसे में आवश्यक है कि ग्रामीण विकास को पर्याप्त संरक्षण दिया जाए, वास्तव में अर्थ व्यवस्था रूपी वृत्त का केन्द्र बिन्दु गांव हैं। अतः वृत्त की परिधि (अर्थ व्यवस्था) की सुदृढ़ता के लिये केन्द्र (गांव) का मजबूत होना आवश्यक है। यह सत्य है कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं किन्तु मात्र उन पर संतोष कर लेना पर्याप्त नहीं है, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में जो विभिन्न विकृतियां उत्पन्न हो चुकी हैं उनका हल सच्चे मन से ढूंढना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए ग्रामीणों में जागरूकता उत्पन्न की जाए, ग्रामीण विकास के लिए जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उनका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग-धन्धों को विकसित किया जाए, ग्रामीण विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनायें वहां की स्थानीय जनता के बीच रहकर बनाई जायें। इस सम्बंध में पंचायती राज प्रणाली महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण निरक्षरता को यथासंभव मिटाने का प्रयास किया जाए एवं ग्रामीणों में पुरातनता के स्थान पर आधुनिकता को अपनाने के लिए समझ व जागरूकता उत्पन्न की जाए। अतः देश के आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि के लिए ग्रामीण अर्थव्यस्था की सुदृढ़ता अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय उपयुक्त नहीं है।

50, वन विहार कालोनी,
गोपालपुरा बाईपास,
किसान मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

जंगल

✍ डॉ. अशोक रंजन सक्सेना

जंगल जब से खड़े हैं
उनकी छाया में
हम-सब पले बढ़े हैं
जंगल देते हैं हवा, लकड़ी
और फूल
तुम लेते हो सांस, उगलते हो विष,
ढकते हो तन, करते हो भोजन

जंगल तुम से कुछ नहीं मांगते
फिर तुम क्यों मांगते हो
कभी हाथ, कभी पैर,
कभी पेट को काटते हो
तुम्हारी मांग पूरी करते-करते
जंगल कट गए हैं
दरवाजे, खिड़की, छत
बनकर जंगल शहर
बन गए हैं

हम कितने ओछे हैं
कि जंगल की कुर्सी पर
तन गए हैं !
जंगल जब से खड़े हैं ...

अध्यक्ष, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण सभा (क्योर)
छाया-स्मृति, 148-बी, बाघम्बरी
गृह-योजना, इलाहाबाद-211006

नई पंचायत-प्रणाली लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी

रामजी प्रसाद सिंह

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में परिकल्पित ग्राम स्वराज योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी सिद्ध हुआ। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के साथ-साथ प्रदेश की ग्रामीण जनता बधाई की पात्र है।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1988 में यह निश्चय किया था कि ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी स्वयं ग्रामवासियों को सौंपी जाए। लेकिन, उन्होंने पाया कि गांवों में पंचायती राज प्रणाली अच्छी तरह काम नहीं कर रही है। कहीं वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं, तो कहीं पंचायती संस्थाओं के पास वित्तीय अधिकारों का अभाव है।

ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति की श्री राजीव गांधी ने गहराई से समीक्षा कराई थी। समीक्षकों का यह निष्कर्ष था कि ग्रामीण विकास के लिए जो धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाती है, उसका 15 प्रतिशत भी गांवों तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार इस तरह की सूचनाओं और तथ्यों को अक्सर गोपनीय रखती है। किन्तु स्वयं श्री राजीव गांधी ने दक्षिण की एक सार्वजनिक सभा में उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया।

उसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायतों को सीधे धन सुलभ कराने का निश्चय किया।

पंचायतों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए श्री गांधी ने एक संविधान संशोधन विधेयक पेश कराया। यह विधेयक उनके शासन काल में पारित न हो सका किन्तु नरसिम्हा राव की सरकार ने उसे दिसम्बर 1992 में पारित कराया और 24 अप्रैल 1993 से सारे देश में लागू कर दिया।

ग्राम पंचायतों के स्वरूप

इसके अनुसार ग्राम पंचायतों को एक सांविधानिक संस्था बना दिया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष पर उसका चुनाव अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही ग्राम विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने का अधिकार पंचायतों को समर्पित कर दिया गया। पंचायतों के वित्त पोषण के लिए उन्हें कुछ मामलों में, स्वयं कर लगाने का अधिकार दिया गया। साथ ही, राज्यों को प्रत्येक पांच वर्ष पर एक ऐसा वित्त आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया गया जो प्रत्येक पंचायत के वार्षिक अनुदान की राशि निर्धारित करेगा। पंचायतें तीन स्तर की होंगी ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। छोटे राज्य चाहें तो प्रखंड स्तर की संस्था न बनाए। ग्राम पंचायतों में, एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी उनकी आबादी के अनुपात से स्थान आरक्षित किए गए।

इस प्रकार से सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अनिवार्य कर दिया गया जिसके कारण देश की शासन प्रणाली में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। राज्य सरकारों के लिए अब ग्राम पंचायतों को एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी सांविधानिक निकाय के रूप में मान्यता देना अनिवार्य हो गया। प्रत्येक राज्य सरकार अब अपना कानून बनाकर ऐसा कर रही है. पंचायतों के चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य में पृथक चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश का नेतृत्व

मध्य प्रदेश सरकार ने "ग्रामीण सरकार" के निर्माण की, संविधान की उक्त योजना को सर्वप्रथम लागू कर दिया। इसके फलस्वरूप वहां की ग्रामीण सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से सत्तारूढ़ हो गयी। इनके चुनाव जून 1994 में हुए थे।

प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई है। राज्य सरकार के 20 विभागों ने, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मंशा के अनुसार अपने कुछ अधिकार उन ग्रामीण सरकारों को समर्पित कर दिए हैं। इनमें लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं शिशु विकास तथा शिक्षा विभाग प्रमुख हैं।

तीनों स्तर की पंचायती संस्थाओं को सफल और सक्रिय बनाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें उच्च अधिकारियों की सेवाएं सुलभ की हैं। जिला पंचायत को जिला समाहर्ता की सेवाएं सुलभ की गयी हैं। वे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।

राज्य में करीब साढ़े चार सौ प्रखंड स्तर पंचायतें बनाई गई हैं। इनके कार्यपालक अधिकारी के पद पर, द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इनके पद ग्रहण

के बाद सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो तृतीय श्रेणी के दंडाधिकारी थे, कार्य मुक्त हो जाएंगे। पंचायतों के लिए जिला स्तर पर स्थायी सलाहकार समिति बनायी जा रही है। इसमें सांसदों और स्वाधीनता सेनानियों को भी शामिल किया जाएगा।

राज्य सरकार ने पंचायतों के अधिकारों की एक सूची समेत 32 पृष्ठों की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें, पंचायतों की कार्यप्रणाली का ब्योरा दिया गया है। यह नव-निर्वाचित पंचों के लिए "निर्देशिका" का काम करेगी।

कार्यक्षेत्र

वर्तमान व्यवस्था के तहत, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, परिवार नियोजन व शिशु प्रतिरक्षा कार्य, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों की मरम्मत, पेयजल एवं सिंचाई जल के साधनों की देख-रेख, सफाई एवं स्वच्छता का काम "ग्रामीण सरकार" के हाथों में होगा।

प्रखंड स्तरीय पंचायतें और जिला पंचायतें, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के अलावा शिक्षा, सिंचाई, सड़क और स्वास्थ्य की योजनाओं और संस्थाओं को देखेंगी।

ग्राम पंचायतों के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके अधिकारों से परिचित कराने तथा नयी पंचायत प्रणाली से अवगत कराने के लिए राज्य सरकार उनके क्रमिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर रही है। फिर भी आरंभ में नयी प्रणाली को लागू करने में कुछ कठिनाई होगी। इनका कालक्रम में निवारण किया जाएगा।

सम्पूर्ण व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद ग्रामवसियों को "ग्राम स्वराज" का बापू का सपना साकार होता प्रतीत होगा।

बी/2बी-285, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

लघु कथा

और आगे पढ़ूंगा

मुकेश मोहन तिवारी

लाला दौलतरामजी अमृतसर में इन्सपेक्टर थे। उनका लड़का जब हाई स्कूल पास कर चुका, तो नौकरी खोजने के लिए उसे लाहौर भेजा गया।

बालक ने लाहौर पहुंचकर अपने कुल-पुरोहित से मिलना चाहा, जो एक इंजीनियर के दफ्तर में नौकर थे। जब वह दफ्तर में पहुंचा, तो वहां कोई नहीं था। बालक एक खाली कुर्सी पर बैठकर अपने कुल पुरोहित की प्रतीक्षा करने लगा।

तभी वहां इंजीनियर साहब भी आ गए। भाग्य की बात! जिस कुर्सी पर वह बालक बैठा था, वह इंजीनियर साहब की थी। उन्हें यह बहुत बुरा लगा और डांट-डपट कर उसे उस कुर्सी से उठा दिया।

थोड़ी देर में उनके पुरोहितजी भी आ गए। उन्होंने उस बालक से नौकरी आदि के विषय में बात की। तभी बालक बोल उठा—जी! नौकर-चाकरी करने का मेरा विचार बदल गया है।'

'क्यों? ऐसी क्या बात हुई?'

'अब तो मैं और आगे पढ़ूंगा।

आज जिस कुर्सी से मैं उठाया गया हूं एक दिन, मैं उस पर बैठकर ही रहूंगा।'

फिर गंगाराम ने लौटकर रुड़की कालेज में नामांकन कराया और सचमुच एक दिन वे इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर उस कुर्सी पर बैठे। उनकी वह टेक पूरी हुई।

आगे चलकर वे बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे और उन्होंने लाखों रुपये विभिन्न संस्थानों को दान दिये।

117, बलवन्त नगर,
ग्वालियर–474011 (म० प्र०)

रोजगार अवसरों में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

डा० सी. एम. चौधरी*

भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया था और इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम लागू किए गए।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने रोजगार से सम्बन्धित अनेक सिफारिशें की हैं। उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :

- उत्पादक रोजगार के अवसरों को जुटाने के साथ-साथ वर्तमान विद्यमान रोजगार की उत्पादकता तथा आय में अभिवृद्धि की जानी चाहिए।
- जिन राज्यों में कृषि विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं वहां रोजगार वृद्धि की व्यूह रचना तैयार की जानी चाहिए तथा जहां कृषि विकास की संभावनाएं नहीं हैं वहां सहायक क्षेत्रों का विकास करके रोजगार के अवसर जुटाए जाने चाहिए।
- कृषि, सिंचाई, लघु और कुटीर उद्योगों, निर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किये जाने चाहिए।
- एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार की जाए जिससे मजदूरी और वेतन की विषमताओं को दूर करके कुशलता में वृद्धि की जाए। असंगठित क्षेत्र को भी इसकी सीमा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
- वर्तमान में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की पुनर्सरचना की जाए। ग्रामीण विकास पर किए जाने वाले व्यय का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे के निर्माण पर खर्च किया जाए।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा निर्धनता उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उनमें प्रमुख हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्व-रोजगार योजना आदि। कुछ राज्यों में विशेष रोजगार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जैसे—रोजगार गारण्टी योजना तथा पंजीकृत बेरोजगारों हेतु स्व-रोजगार योजना क्रमशः महराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लागू की जा रही है।

चालू वर्ष में रोजगार के अवसर जुटाने हेतु दो नये कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये हैं वे हैं

(1) सुनिश्चित रोजगार योजना,
(2) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना,

इसमें प्रथम योजना अब 1778 पिछड़े खण्डों में चल रही है जहां पर पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित की जा रही है। सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 को प्रारंभ की गई थी। इसमें रोजगार के इच्छुक 18 वर्षों से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को 100 दिनों के बराबर अकुशल मजदूरी का आश्वासन दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रति परिवार अधिकतम दो बालिगों को उन दिनों 100 दिनों के बराबर के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जब खेती का काम नहीं होता तथा उन्हें रोजगार की जरूरत होती है। इस योजना में व्यय भार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 80 : 20 के आधार पर वहन किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम ठेकेदारों द्वारा न चलाए जाकर विभाग द्वारा संचालित होते है।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत दस लाख लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सात लाख व्यष्टिमूलक उपक्रम स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 1993-94 में यह योजना शहरी क्षेत्र में ही लागू की गई है। अब इसे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। वर्ष 1994-95 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार योजना को इस योजना में समन्वित किया जाएगा। वर्ष 1993-94 में इस योजना का लक्ष्य 40,000 लोगों को लाभान्वित करना है जबकि 1994-95 से 1996-97 की अवधि हेतु प्रति वर्ष 2.2 लाख लोगों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना क अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर एक लाख रुपये तक की परियोजना को शमिल किया गया है। विगत वर्षों में विशेष रोजगार तथा

*रीडर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज०)

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका

विशेष रोजगार एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम

(लाख)

कार्यक्रम	1992-93		1993-94	
	लक्ष्य	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम				
(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-परिवार जिन्हें सहायता दी गई	18.8	20.7	25.7	9.48
(2) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)	3.0	2.8	3.5	0.74
(3) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा)				
(अ) निर्मित समूह	0.075	0.090	0.10	0.00
(ब) सदस्यता				
(4) जवाहर रोजगार योजना				
सृजित रोजगार मानव दिवस	7538	7821	10805	3093

स्रोत—आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, 1993-94 पृष्ठ सं० 158

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि रोजगार देने तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लक्ष्यों और प्राप्तियों में अंतर पाया जाता है। इन कार्यक्रमों को गुणात्मक रूप से प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए समुचित लक्ष्यों का निर्धारण, परिसम्पत्तियों का विवेकपूर्ण चयन, आधारभूत संरचना की उपलब्धता और क्षेत्रीय तथा खण्डीय विकास योजनाओं के बीच समन्वय आवश्यक है। विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों का महत्व अल्पकालीन और पूरक होता है जबकि बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या का अंतिम समाधान आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उत्पादक रोजगार के अवसरों का सृजन करने से होगा।

89, मुक्तानंद नगर,
गोपालपुरा बाईपास,
जयपुर-302018

अहिंसा द्वारा प्रस्थापित जिस लोकतन्त्र की मैंने कल्पना की है उस लोकतन्त्र में सबको समान स्वतन्त्रता मिलेगी। हर कोई अपना स्वामी स्वयं होगा।

—महात्मा गांधी

ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम

✍ डा. अशोक कुमार सिंह

तीनमूर्ति भवन नई दिल्ली में 14 नवम्बर 1993 को "भारत के विकास में महिलाओं के योगदान" प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आवाह्न किया कि समाज में महिलाओं को बराबर का स्थान मिला चाहिये। उन्होंने कहा कि महिलाओं की दशा ही समाज के विकास का महत्त्वपूर्ण अंग है। देश में महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

हर समाज में महिलाओं की भूमिका का अपना एक अलग महत्त्व है। जब-जब जहां भी उन्हें अवसर मिलते हैं, महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में न केवल सफलता प्राप्त की है, बल्कि समाज के उत्थान में विशेष भूमिका भी निभाई है। भारत के सर्वोन्मुखी विकास हेतु यह आवश्यक है कि महिलाओं के विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक कल्याण और प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर और दिशा प्रदान की जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय में विशेष रूप से महिलाओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम तैयार किये गये हैं–

ऋण देने में प्राथमिकता

सरकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 11 हजार रुपये वार्षिक या इससे कम आय वर्ग के निर्धन ग्रामीणों को सहायता देती है। सहायता पाने वालों में 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी सहायता और बैंक कर्ज के माध्यम से निर्धन महिलाओं को सहायता उपलब्ध करायी जाती है ताकि वे बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग पर आधारित कुटीर उद्योग अथवा कृषि सेवाओं से संबंधित व्यवसाय को अपनाकर अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकें।

निर्धन ग्रामीणों को महाजनों के शोषण से बचाने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों से उन्हें एक हजार रुपये तक का खपत ऋण देने का भी प्रावधान है।

प्रशिक्षण में प्राथमिकता

ग्रामीण युवाओं स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 40 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी महिलाएं होती हैं। अब तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और मास्टर शिल्पकारों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण से कई महिलाओं ने इस योजना के तहत मिली सहायता से अपने ग्रामोद्योग प्रारंभ कर लिये हैं।

ग्रामीण महिला तथा विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) 1982 में ग्रामीण महिलाओं को सहायता देने के विशेष उद्देश्य से 50 जिलों में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत निर्धन ग्रामीण महिलाओं को 10 से 15 सदस्यों के ग्रुप में संगठित किया जाता है और उन्हें उनकी कुशलताओं, रुचि और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आमदनी बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस समय महिलाओं के 57,129 समूह कार्यरत हैं, जिनसे 9,87,262 महिलाओं और उनके परिवारों को लाभ मिल रहा है। आठवीं योजना के अंत तक सभी जिलों में ड्वाकरा कार्यक्रम चलाये जाने का विचार है।

ड्वाकरा द्वारा प्रायोजित प्रत्येक समूह को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से सहायता व 'ट्राइसेम' योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण और 15 हजार रुपये अनावर्ती निधि के रूप में दिये जाते हैं। महिलाओं के दलों में बचत और उधार को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही हर दल को 15 हजार रुपये की राशि समतुल्य अंशदान के रूप में दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम को अन्य सार्वजनिक कल्याण सेवाओं से सम्बद्ध कर दिया गया है। इस उद्देश्य से 1992-93 के दौरान 14 जिलों में समुदाय आधारित समन्वित सेवाओं की परियोजना प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ की गयी थी। इस वर्ष यह परियोजना 11 अन्य जिलों में प्रारम्भ की जाएगी।

जवाहर रोजगार योजना के विशेष प्रावधान

जवाहर रोजगार योजना के तहत 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों और कम रोजगार प्राप्त लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार की व्यवस्था करना है। इस

वरिष्ठ प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, देवेन्द्र महाविद्यालय, बलिया

उद्देश्य को ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कार्य करके पूरा किया जाता है।

महिलाओं को इन्दिरा आवास योजना के लाभ

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्धनतम ग्रामीणों को निःशुल्क मकान उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसमें विधवाओं और अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना के मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति और पत्नी के संयुक्त नाम से दिये जाते हैं।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था की जाती है। स्वच्छता से रहन-सहन के इस कदम से महिलाओं के लिए उनकी जरूरत के अनुरूप अलग से नहाने धोने के स्थान की व्यवस्था भी की जाती है। पेयजल के लिए हैण्डपम्पों के इस्तेमाल और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें ग्रामीण स्तरीय समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। यही नहीं, उन्हें हैण्डपम्पों और अन्य स्रोतों के लिए स्थान के चुनाव में भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।

कापार्ट द्वारा महिलाओं को विशेष सहयोग

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराती है। कापार्ट ग्रामीण प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देती है, ताकि महिलाओं के लिए घरेलू और बाह्य गतिविधियों को आसान बनाया जा सके।

पंचायती राज और महिलाएं

संशोधित (73 वां संशोधन) अधिनियम के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल स्थानों में से कम से कम एक तिहाई सीटें निश्चित रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिये। यह प्रावधान अध्यक्ष के पदों के मामले में भी लागू होगा। इससे महिलाओं को गांव, खण्ड और जिला स्तरों पर स्थानीय प्रशासन के मामले में बेहतर भूमिका निबाहने का अवसर मिलेगा।

गुणवत्ता प्रमाणीकरण के विशेष अधिकार

कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण उपभोक्ताओं के लिए विशेष लाभकारी है। यह कार्य श्रेणीकरण और चिह्नांकन के माध्यम से किया जाता है। एगमार्क की गुणवत्ता प्रमापीकरण योजना के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं में गुणवत्ता जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाले उपभोक्ता संगठनों को एगमार्क उत्पादों को जांच करने तथा परीक्षण हेतु नमूने लेने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रूढ़ियों तथा सामाजिक रीतिरिवाजों के कारण पैदा हुई, अनेक कुरीतियों की शिकार हैं। अभी उनमें जागृति नहीं आ पायी है। अतः ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी एजेन्सियों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्फत चलाये गये हैं। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के परिणामस्वरूप बुनियादी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के राष्ट्र के प्रयास में महिलाओं को आगे लाया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, डवाकरा, ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, कृषि उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं को मिलने वाले लाभों से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के विकास की पूरी सम्भावना है।

फ्लैट नं. 35,
नगर महापालिका कालोनी,
शिवपुर-221003,
वाराणसी (उ. प्र.)

उत्तर प्रदेश : गन्ने का प्रदेश

✍ हरि बिश्नोई

गन्ने की मिठास कृषकों के परिश्रम से समरस होकर उनके जीवन में उतर रही है क्योंकि वस्तुतः गन्ना अत्यंत लाभकारी फसल है। कृषि एवं उद्योग के अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी इसका महत्व है। गन्ना नगदी फसल है। इसे बेचकर किसानों को अपेक्षाकृत शीघ्र पैसा प्राप्त हो जाता है। खेत से कटने के बाद इसे गेहूं आदि की तरह भंडारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका रस सूखने लगता हैं चीनी की बढ़ती मांग के कारण गन्ने की फसल का महत्व विश्व भर में बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त खांडसारी एवं गुड उत्पादन के साथ-साथ अल्कोहल, रसायन रबर, गन्ना, कागज और अन्य कई सह-उद्योग गन्ने पर आश्रित हैं।

महत्वपूर्ण फसल

अनेक प्राचीन ग्रन्थों में इक्षु और शर्करा का उल्लेख किया गया है। भारत में गन्ने की खेती अत्यंत प्राचीन काल से होती रही है। कामदेव के धनुष बाण कहाने वाले मीठे रसीले गन्ने की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में हुई थी बंगाल की खाड़ी में इसे पहचाना गया था। घास कुल का यह पौधा बर्मा और चीन के रास्ते विश्व के दूसरे देशों तक पहुंचा। गन्ने को इक्षु, ईख, ऊंख, ऊख, आक, इक्कु, चिटकु तथा सुगर केन भी कहा जाता है। इसे फारसी में शकर तथा यूनानी में सकरान कहते हैं। आयुर्वेद से गन्ने का गहरा सम्बन्ध है। क्योंकि अपने गुणों के कारण गन्ना, रस और उससे बने पदार्थ प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली में काम आते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक विकास में भी गन्ने की खेती का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि यह फसल यदि सावधानीपूर्वक ली जाए तो अत्यंत लाभप्रद रहती है। अतः गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों का विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी के साथ हुआ है।

गन्ना ऐसी उपयोगी फसल है जिसका पोर-पोर काम आता है। गन्ने का ऊपरी हिस्सा पशुओं के चारे और गन्ने का रस पीने, चीनी, गुड़, राब और खांडसारी बनाने के काम आता है। रस की मैली (प्रेस मड) भी बेकार नहीं जाती और उसे सड़ा कर बढ़िया खाद बनाई जाती है या फिर कोयले के वैकल्पिक ईंधन के रूप में उसे अब भट्टों में भी जलाया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त खोई से बिजली-उत्पादन, गत्ता और कागज बनता है। शीरे से अल्कोहल, पशु आहार, टिकली-कोयला, तम्बाकू मिश्रण, कृत्रिम रबर तथा मूल्यवान रसायन बनते हैं।

गन्ना किसानों की हित रक्षा

सर्वप्रथम 1931 में भारत सरकार के टेरिफ प्रोटेक्शन एक्ट बन जाने के बाद 1934 में केन्द्रीय गन्ना अधिनियम बना। इसके तहत प्रांत सरकार ने 1938 में शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल एक्ट और रूल्स बनाये। किन्तु उत्तर प्रदेश में गन्ना क्रय एवं आपूर्ति नियमन अधिनियम 1953 में लागू हुआ था। और 1935 में गन्ना विकास विभाग कृषि विभाग से पृथक किया गया था। फिर 1948 में गन्ना विकास परिषदों की स्थापना हुई और गन्ना विकास कार्य को क्रय-विक्रय से अलग किया गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। अब प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना सहकारी समिति या चीनी मिल सहकारी समिति तथा गन्ना विकास परिषद है जो क्रमशः विपणन, भुगतान, गन्ना विकास, गन्ना रक्षा, प्रचार तथा सड़क निर्माण आदि का कार्य करती है।

गन्ना सहकारिताएं

शोषण के विरूद्ध सहकारिता को गरीबों की ढाल कहा गया है। शुरू-शुरू में गन्ना किसानों की अपनी विपणन व्यवस्था वाली सहकारी समितियां नहीं थीं तो निजी मिल मालिकों द्वारा उनका खूब शोषण किया जाता था। सन् 1903 में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल निजी क्षेत्र में देवरिया जिले के प्रतापपुर में लगायी गई थी। लेकिन तब न तो चीनी उद्योग व्यवस्थित था और न किसान ही संगठित थे। अतः खूब मनमानी चलती थी जिसमें किसानों का नुकसान होता था। बाद में जब विभिन्न एक्ट बने तो चीनी उद्योग को संरक्षण के साथ-साथ गन्ना किसानों को भी राहत मिली और गन्ना उत्पादकों ने अपनी सहकारी समितियां बना लीं।

अब प्रदेश में 174 गन्ना सहकारी समितियां हैं। राज्य स्तर पर इनकी एक शीर्ष संस्था 'उ. प्र. गन्ना सहकारी समिति संघ' है तथा उ. प्र. के गन्ना एवं चीनी आयुक्त सहकारी गन्ना समितियों के निबंधक हैं। इन समितियों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था, कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान, उर्वरक, कृषि यंत्र, ऋण, बीज एवं दवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता

है। गन्ना सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश में 38 स्कूल, 13 डिग्री कालेज तथा 117 अस्पताल भी चला रही हैं। गन्ने के सहकारी आन्दोलन का दूसरा रूख है सहकारी चीनी मिलों की स्थापना। सर्वप्रथम सहकारी क्षेत्र में कृषकों की अपनी चीनी मिल सीतापुर के बिस्वां स्थान पर लगी थी तब से 1993-94 तक इन सहकारी चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच गयी है। इन मिलों की भी राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था 'सहकारी चीनी मिल संघ' कार्यरत है।

देश के कुल गन्ना क्षेत्रफल का आधे से भी अधिक हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1993-94 में यहां 19 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती की गयी थी। जिसमें 56 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर औसत उपज से कुल 1064 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। राज्य में 31 लाख से भी अधिक गन्ना कृषकों के परिवार तथा श्रमिक गन्ने की खेती पर आश्रित हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 110 चीनी मिलें हैं जिनकी गन्ना पिराई क्षमता 2.39 लाख टन प्रतिदिन की है। वर्ष 1992-93 में 108 चीनी मिलों ने कुल 295.66 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पिराई करके 9.67 प्रतिशत चीनी परते पर 28.58 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया था। उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना उत्पादन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ही चीनी मिलों द्वारा पेरा जाता है। शेष दो तिहाई अर्थात 642 लाख मीट्रिक टन गन्ना कोल्हू क्रेशर पर गुड़ तथा खाण्डसारी बनाने के काम आता है। गन्ना उत्पादन का एक हिस्सा रस निकाल कर बेचने वालों के काम भी आता है और सीजन के अंत में गन्ने के दाम रस वालों के लिए बढ़ कर दुगने और तिगुने तक हो जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में 1263 (क्रेशर्स) खाण्डसारी इकाइयां हैं जो छोटे पैमाने पर विद्युत शक्ति से गन्ना पेर कर मिल की चीनी का विकल्प बढ़िया और किफायती दानेदार खांडसारी का उत्पादन करती हैं। जिसका उपयोग मिठाइयां बनाने वालों से कर कनफैक्शनर्स आदि के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1993-94 में उत्तर प्रदेश की 1182 खांडसारी इकाइयों ने 974.97 लाख किवंटल गन्ना पेर कर 37.84 लाख किंवटल खांडसारी का उत्पादन किया था। किसानों को 1993-94 में खांडसारी इकाइयों द्वारा बड़ी चीनी मिलों की अपेक्षा अधिक गन्ना मूल्य दिया गया क्योंकि इन इकाइयों को अपनी मांग के अनुसार गन्ना मूल्य देने की स्वतन्त्रता रहती है और चीनी मिलों की भांति इन्हें परामर्शित गन्ना मूल्य देने की कोई बाध्यता नहीं होती। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की उपज खेतों में ही न रह जाए, इसका गन्ना सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान लगाया जाता है और फिर चीनी मिलों की मांग को देखते हुए प्रति वर्ष गन्ना आपूर्ति नीति घोषित की जाती है तथा पिछली गन्ना आपूर्ति के आधार पर निर्धारित गन्ने की मात्रा को अनिवार्यतः लेने के लिये चीनी मिल कानूनी रूप से बाध्य होती हैं। इससे गन्ना किसानों का हित सुरक्षित हो जाता है। अनुबंध किए गए गन्ने की मात्रा के अलावा शेष गन्ने को कृषक कोल्हू तथा क्रेशर पर ले जा सकते हैं।

गन्ना बाहुल्य क्षेत्र

गन्ना उत्पादन की दृष्टि से यूं तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की मिट्टी और जलवायु उपयुक्त है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। गंगा जमुना के बीच का दोआब क्षेत्र (शामली-मुजफ्फरनगर) आदि के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर हैं।

सम्भावनाएं

चूंकि उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादित गन्ने की एक तिहाई मात्रा ही चीनी मिलों द्वारा पेरी जा रही है। अतः मौजूदा चीनी मिलों की पिराई क्षमता के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना करनी आवश्यक है। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में कुल अस्सी नई चीनी मिलें लगाने के प्रार्थना पत्र केन्द्र सरकार को भेजे गए थे जिसमें 23 नई चीनी मिलों की मंजूरी मई 1994 में प्रदान की गयी है। यह सभी नई चीनी मिलें निजी क्षेत्र में लगाई जाएंगी। गन्ने की उपलब्धता को देखते हुये उत्तर प्रदेश में अभी कम से कम 27 नई चीनी मिलों की आवश्यकता और है। किन्तु इसके लिए सघन गन्ना विकास जरूरी है। इस हेतु उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग से अलग राज्य सरकार का गन्ना विकास एवं चीनी विभाग एवं मंत्रालय है जो गन्ने के महत्व का परिचायक है।

गन्ना शोध

गन्ना अनुसंधान केन्द्र, शाहंजहापुर की स्थापना के साथ ही गन्ना शोध का अध्याय 1912 में शुरू हुआ था। जिसे 1977 में एक स्वायतशासी परिषद बना दिया गया। अब राज्य में मुजफ्फरनगर, गोला तथा काशीपुर में इसके शोधकेन्द्र तथा दौराला एवं घाटमपुर बीज संवर्धन केन्द्र हैं। गोरखपुर, लक्ष्मीपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर तथा महाराजगंज केन्द्र सेवरही शोध केन्द्र के

अन्तर्गत आते हैं। इनमें प्रजनन, अनुवांशिकी, देहिकी, कृषि मृदा, रोग एवं कीट विज्ञान, बीज उत्पादन तथा प्रसार से संबंधित कार्य किए जाते हैं। गन्ने की उन्नत प्रजातियों को विकसित करने में गन्ना शोध कार्यक्रम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

गन्ना विकास

गन्ना कृषकों, शोध वैज्ञानिकों, चीनी मिलों तथा गन्ना विकास विभाग के समन्वित सहयोग से उत्तर प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन योजनाबद्ध प्रयासों में चीनी मिलों के 16 कि. मी. परिधि क्षेत्र में गन्ने का रकबा बढ़ाने हेतु 20 प्रतिशत का लक्ष्य वर्ष 1994-95 हेतु निर्धारित किया गया है। ताकि चीनी मिलों को अपने गेट पर ही पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति सम्भव हो सके। इसी प्रकार शीघ्र पकने वाली गन्ना जातियों के लिए 20 प्रतिशत वृद्धि सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि अक्टूबर माह में चीनी मिलों को चालू किया जा सके। उन्नत किस्म का गन्ना बढ़ाने हेतु वर्ष 1993-94 में साढ़े पांच लाख टन गन्ना बीज वितरित किया गया। इसके लिए राज्य में प्राथमिक स्तर की पौधशालाओं की व्यवस्था की गयी है।

समग्र प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उपज प्रति हेक्टेयर अभी कम है तथा उसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता हैं उसी के लिए प्रयास चल रहे हैं। 1993-94 में राज्य के कुल 10600 खेतों में गन्ने की उन्नत खेती का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त जैविक नियंत्रण प्रयोगशालाओं, मृदा परीक्षण सचल वाहनों तथा आदर्श गन्ना ग्रामों के चयन का प्रावधान भी किया गया है। गन्ने की उन्नत जातियों, प्रजनक बीज वितरण एवं उत्तक संवर्धन (टिशुकल्चर) के विकास को वरीयता देने की व्यवस्था की गयी है।

गन्ना मूल्य भुगतान

उत्तर प्रदेश में सुनियोजित व्यवस्था के परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है। 1993-94 में चीनी मिलों ने सामान्य किस्म के लिये 58 रुपये तथा शीघ्र पकने वाली किस्म के गन्ने का दाम 65 रुपये प्रति किवंटल दिया था किन्तु गुड़ एवं खाण्डसारी इकाइयों ने 70 रुपये प्रति किवंटल के दाम दिए जबकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य 34.50 रुपये तथा न्यूनतम औसत गन्ना मूल्य 39.88 रुपये प्रति किवंटल था। उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया न रहे। इसके लिये प्रति वर्ष विशेष प्रयास किये जाते हैं।

विकास की राह : ग्रामीण सड़कें

यह बात सच है कि ग्रामीण विकास के आधारभूत कारणों में सड़क बहुत महत्वपूर्ण होती है। गन्ना किसान अपनी उपज को खेत से काट कर तुरंत ताजा एवं सरलतापूर्वक चीनी मिलों तक पहुंचा सके तथा अपने लिए बाजार से खाद, बीज आदि ला सके इसके लिए राज्य में अर्न्तग्रामीण सड़क निर्माण की योजना चल रही है। जिसमें 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत संबंधित चीनी मिल एवं गन्ना कृषकों के सहयोग से वहन किया जाता है। कच्ची सड़कें, खड़ंजा तथा पक्की सड़कों के अलावा पुलिया तथा गन्ना समितियों के गोदाम एवं भवन निर्माण के लिए गन्ना अभियंत्रण सेवा का सम्पूर्ण तंत्र कार्यरत है। वर्ष 1972 से 1993-94 तक 1400 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण तथा 1570 कि.मी. लम्बी सड़कों का पुनः निर्माण कराया जा चुका है जो कि एक उल्लेखनीय सफलता है तथा इससे ग्रामीण जीवन में सुधार हुआ है।

गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार

राज्य, क्षेत्र तथा जोनल गन्ना प्रतियोगिताओं के अंतर्गत गन्ना विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष एक हजार गन्ना उत्पादक विजेताओं को कुल दस लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। गन्ने की उन्नत खेती के प्रति विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए राज्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिससे प्रदेश के गन्ना कृषकों द्वारा गन्ने की अधिकाधिक उपज प्राप्त हो तथा उन्हें खेती के आधुनिकतम तकनीकी व अनुसंधान सम्मत तरीकों को अपनाने की आदत पड़े। प्रतियोगिता-आयोजन का ध्येय गन्ने की खेती में किये गये प्रयासों का वास्तविक प्रतिफल (अधिकतम उपज) प्राप्त करना है। इन गन्ना प्रतियोगिताओं से वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त की गई अच्छी उपज का बेहतर संकेत मिलता है।

गन्ना कृषकों को शोध एवं विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उ.प्र. में प्रचार-प्रसार कार्यों पर विशेष जोर दिया जाता है तथा गन्ना प्रचारार्थ एक पृथक अनुभाग गन्ना आयुक्त के स्तर पर कार्यरत है। जिसमें गोष्ठी, प्रदर्शनी, फिल्म शो तथा 'गन्ना मासिक' पत्रिका के अलावा पर्चे, बुकलेट आदि का प्रकाशन एवं वितरण कार्य किया जाता है। प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने की दिशा में उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं।

अखिल भारतीय सहकारी चीनी मिल महासंघ के सौजन्य से

शेष पृष्ठ 31 पर

मानव जीवन में वनों का महत्व

✍ दिलीप कुमार पाण्डेय

मानव जीवन में अनादिकाल से ही वनों का बड़ा महत्व रहा है। आदिमानव तो अपनी लगभग सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताओं जैसे - भोजन, कपड़ा और आवास के लिए पूर्णतया वनों पर ही निर्भर था। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव तथा वनों के संबंधों में परिवर्तन आते गए, परंतु मानव की वनों पर निर्भरता किसी न किसी रूप में बनी रही। अनेक आदिम जातियां आज भी वनों में निवास करती हैं। आधुनिक सभ्य जगत भी अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को वन्य उत्पादों से पूरा करता है जिसमें इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी, प्लाईवुड, बांस, लुगदी तथा अनेक प्रकार के फल, फूल और पत्तियां, पशुओं के लिए चारा, अनेक प्रकार की वनस्पतिक औषधियां तथा गोंद, रबड़, तारपीन का तेल, वनस्पतिक रंजक पदार्थ और लाख प्रमुख हैं। रेल के डिब्बों, स्लीपरों, मकानों, घरेलू सामान तथा इंजीनियरी सामानों में प्रयुक्त होने वाली इमारती लकड़ी वनों से ही प्राप्त होती हैं। विभिन्न वन्य जीव तथा पशु-पक्षी वनों में मिलने वाली वनस्पतियों पर ही पलते हैं।

पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में वृक्ष सम्पदा का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 13.5 किलोग्राम हवा की आवश्यकता होती है। जबकि केवल 2.5 लीटर पानी व 1.5 किलोग्राम भोजन में वह जिन्दा रह सकता है। लेकिन बिना हवा के कुछ मिनट भी जिन्दा रहना मुश्किल है। मौसम और वर्षा वनस्पतियों पर ही निर्भर है। वृक्षों को सामान्यतः एक ग्राम शुष्क पदार्थ बनाने के लिए वातावरण में 1.69 ग्राम कार्बन डाइ आक्साइड गैस ग्रहण करनी पड़ती है, परिणामतः वे वातावरण में 1.22 ग्राम अमृत तुल्य आक्सीजन छोड़ते हैं जोकि जीवमंडल में मौजूद समस्त जीवधारियों के श्वसन के लिए अन्यन्त आवश्यक है। इन सभी के अतिरिक्त वन निम्न प्रकार से प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने में सहयोग करते हैं :-

- जल तथा वायु क्षरण से मृदा का संरक्षण करते हैं।
- वर्षा के जल के बहाव को रोककर बाढ़ की संभावना को कम करते हैं।
- वनों का पादप आवरण मृदा की नमी को वाष्पन से रोकता है।
- वन, वायुमंडल में कार्बन डाइ आक्साइड तथा आक्सीजन के संतुलन को बनाये रखने में सहायक होते हैं।
- वन, वायुमंडल से कार्बन डाइ-आक्साइड गैस के अतिरिक्त सल्फर डाई आक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की कुछ सीमित मात्रा को बिना किसी हानिकारक प्रभाव के उपयोग में ले लेते हैं जिससे पर्यावरण का बचाव होता है।
- ये वायुमंडलीय आर्द्रता को अवशोषित करने के कारण वर्षा में सहायक होते हैं।
- ग्रीष्म ऋतु में तापमान को बढ़ने से रोकते हैं तथा शीत ऋतु में तापमान को कम होने से रोकते हैं।
- वन, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने तथा उसकी दशा सुधारने में सहायक होते हैं। वृक्षों से भूमि पर गिरने वाली पत्तियां आदि सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाती हैं जिससे भूमि को जीवाश्म की प्राप्ति होती है।
- वन, वन्य जीव जन्तुओं के लिए आवास तथा भोजन उपलब्ध कराते हैं।
- वन, में कुछ पौधे (वृक्षों की कुछ प्रजातियां) प्रदूषण के प्रति इतने अधिक संवदेनशील होते हैं कि उनमें होने वाले परिवर्तन प्रदूषण सूचक का कार्य करते हैं जैसे – हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस के प्रति चीड़ की पत्तियों की ऊपरी नोक व किनारे के ऊत्तकों का मृत हो जाना।

वन विनाश के कारण एवं वनों की वर्तमान स्थिति

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अनियोजित औद्योगीकरण, वनों का अविवेकपूर्ण दोहन और वन क्षेत्र नष्ट करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार आदि कारणों से वन क्षेत्र पृथ्वी पर घटता जा रहा है। जहां पृथ्वी के 70 प्रतिशत भूभाग पर (अर्थात् 12 अरब, 80 करोड़ हेक्टयर क्षेत्र में) वन थे वहीं आज 14 प्रतिशत से भी कम वन क्षेत्र रह गया है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि (भारत में) 16 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 14 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण एवं अनियोजित औद्योगीकरण से वन क्षेत्र पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। पिछले दशक में (1981-1991) जनसंख्या में 23.5 प्रतिशत

की वृद्धि हुई। इसका प्रभाव वन क्षेत्र की उपलब्धता पर पड़ा। भारत में आज संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 19.47 प्रतिशत वन क्षेत्र (64,010 वर्ग किलोमीटर) है। भारत के सिर्फ सात राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रफल वहां के भौगोलिक क्षेत्र का 50 प्रतिशत या इससे अधिक है। ये राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश हैं – अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड त्रिपुरा एवं अंडमान और निकोबार। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसका प्रतिशत बहुत की कम रह गया है और ये ही राज्य भारत के प्रमुख बड़े राज्य हैं। वैसे 1991 की तुलना में 1993 में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, नगालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वन क्षेत्रफल में आंशिक वृद्धि हुई लेकिन वही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, दमन एवं दीव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं उड़ीसा राज्यों में वन क्षेत्र में कमी हुई है। यदि हम पूरे देश में वन क्षेत्र में कमी और वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करें तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि पिछले दो वर्षों में (1991-93) शुद्ध वन क्षेत्र में 22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई जोकि 1100 हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है। आज देश में सिर्फ 11.73 प्रतिशत सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का सघन वन क्षेत्र रह गया है जोकि बहुत कम है। कृषि की कुछ पद्धतियां भी वनों के स्थायी विनाश का कारण बनी हैं। इसका उदाहरण है "झूम खेती"। इसके कारण विश्व में उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में वनों का तीव्र गति से विनाश हुआ है।

वन विनाश के प्रभाव

वनों के अनुचित शोषण के कारण आज पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ गया है। आज एक ही राज्य में कहीं पर सूखे से तबाही, कहीं पर बाढ़ से तबाही और कहीं पर भूकंप के खतरे अनुभव किये जा रहे हैं। आज वातावरणीय तापमान बढ़ने के कारण समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है जोकि एक और नयी प्रकार की तबाही का संकेत दे रहा है। प्रश्न यह है कि यह स्थिति आज क्यों विकट होती जा रही है? एक जर्मन कहावत है कि "जब जंगल (वृक्ष) मरता है तो उसके पीछे-पीछे इंसान भी मरता है।" यही कारण है कि आज हमें ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने जैसी बातें दैनिक समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रही हैं। हम ईंधन के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 4 अरब टन जीवाश्म जलाते हैं। इसमें प्रतिवर्ष 4 से 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इससे वातावरण में पिछले सौ वर्षों में 36 लाख टन कार्बन डाइ आक्साइड गैस बढ़ गई है तथा 24 लाख टन आक्सीजन वातावरण से नष्ट हो चुकी है। वनों के कटने से भूमि कटाव, भूस्खलन आदि हमें देखने को मिल रहा है। वानस्पतिक आवरण की अनुपस्थिति में वर्षा का जल बिना अवरोध के सीधा भूमि पर गिरता है, इससे मृदा पर तीव्र आघात होता है और वह नष्ट होने लगती है। इसके अतिरिक्त पौधों की अनुपस्थिति में मृदा कण को बांध कर रखने वाली जड़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। इससे मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार से अपरदित मृदा वर्षा जल के साथ बहकर जलाशयों तथा नदियों में जाकर उन्हें गंदा एवं उथला बना देती है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिवर्ष 6 करोड़ टन उपजाऊ मृदा बाढ़ के जल के साथ बहकर समुद्र में व्यर्थ चली जाती है। इस प्रकार उपजाऊ मृदा के बह जाने से भूमि का बहुत बड़ा भाग बंजर हो जाता है।

वन संरक्षण की आवश्यकता

वनों की उपयोगिता तथा वनों के विनाश के दुष्परिणामों के परिप्रेक्ष्य में वन संरक्षण की आवश्यकता को आज के मानव को समझने की आवश्यकता है। हमें वनों का संरक्षण करते हुए उचित मात्रा में उनका उपयोग करना चाहिए। प्रकृति की मुग्धकारी सुंदरता तथा शक्ति वनों में ही दृष्टिगोचर होती है और वहीं पर निखरती है। वन प्रेरणा तथा स्वास्थ्य दोनों के स्रोत होते हैं। वनों के विनाश के कारण प्रदूषण का बुरा प्रभाव मानव जीवन पर बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। इसलिए यह उचित समय है कि इस संकट से सावधान रहने के लिए मानव में सामाजिक जागरूकता पैदा की जाए और औद्योगिक जीवन के हर पहलू पर सावधानी बरती जाए। शहरीकरण, अंधाधुंध वृक्षों का कटाव, कृषि एवं फल संरक्षण कार्यों में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग, फसल उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आदि आज कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव भी हमारे पौधों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इस बात पर कम ध्यान दिया जाता है। पौधे वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्राकृतिक छलनी का कार्य करते हैं। सामान्यतः पौधे प्रदूषण को दो प्रकार से कम करते हैं। प्रारंभिक रूप में पौधे प्रदूषण के स्रोत को ही समाप्त कर देते हैं तथा दूसरे रूप में वातावरण को छलनी के रूप में शुद्ध करते हैं। पौधे सल्फर डाइ आक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की कुछ सीमित मात्रा को बिना किसी हानिकारक प्रभाव के उपयोग में ले लेते हैं।

भारत में 1973 में वन संरक्षण के उद्देश्य से जन्मे "चिपको आंदोलन" की जहां विश्व भर में सराहना हुई, वहीं इसका विस्तृत और सशक्त विस्तार भी हुआ है। फिर भी इस आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में वन संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वन क्षेत्रों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। संवेदनशील वन क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अभी कोई उत्साहवर्धक परिणाम सामने नहीं आया है। हमारे देश में शासकीय तथा सामाजिक दोनों स्तर पर वन संरक्षण के प्रयास तेज गति से करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। सरकार के प्रयास का जो परिणाम आना चाहिए था वह अभी तक नहीं आ पाया है क्योंकि सरकार के प्रयास के साथ-साथ जन समर्थन होना चाहिए। अतः आवश्यक है कि हमें वनों के संरक्षण के साथ-साथ वृक्षारोपण भी अभियान चलाना चाहिए ताकि नए वन तैयार होते रहें और प्रदूषण मुक्त वातावरण बने।

वन परिस्थितिकीय एवं पर्यावरण विभाग,
वन अनुसंधान संस्थान,
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,
पो. न्यू फारेस्ट, देहरादून - 248006

पृष्ठ 12 का शेष

स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के क्रम में अन्य बातों के अतिरिक्त उन्हें उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इनके अभाव में व्यवसाय की सफलता संदिग्ध है। वर्तमान युवकों के व्यवसायों का बंद हो जाना या घाटे में चलने का प्रमुख कारण उनमें प्रबंधकीय कौशल की कमी है। इसीलिए यह योजना आंशिक रूप से सफल हो पाई है। अतएव योजना की पूर्ण सफलता के लिए प्रशिक्षार्थियों की उद्यमशीलता तथा प्रबंधकीय कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाए।

इसके अतिरिक्त समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं परियोजनाओं को लागू करने में प्राथमिकता दी जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को मजदूरी के आधार पर रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही महिलाओं के लिए भी रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने वाली परियोजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।

इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, ग्रामीण निर्धनता के निवारण और विकास के लाभों को ग्रामीण जनसंख्या तक पहुंचाने हेतु आने वाले वर्षों में भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। यदि उपरोक्त सुझावों के आधार पर इस कार्यक्रम को लागू किया जाए तो काफी सफलता मिल सकती है।

गढ़ पर, कचहरी रोड,
नवादा - 805103,
(बिहार)

पृष्ठ 28 का शेष

विश्व के गन्ना उत्पादकों का एक महासम्मेलन जनवरी 1994 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ था जिसमें आशा व्यक्त की गयी थी कि चीनी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में कृषकों को नई सफलता प्राप्त करनी होगी। लेकिन इसके लिए गन्ना शोध एवं विकास के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अधिक से अधिक बल देना होगा ताकि कम जमीन में अधिकतम पैदावार लेने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके और अन्य आवश्यक फसलों के उपज संतुलन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। गन्ना बाहुल्य राज्य उत्तर प्रदेश में यही आवश्यकता है जिससे गन्ना किसान जागरूक होकर गन्ने की खेती से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में इसकी असीम सम्भावनाएं हैं।

एच. 88-शास्त्रीनगर,
मेरठ-250005 (उ. प्र.)

विभिन्न प्रकार की मुर्गी पालन व्यवस्था

✍ अंजू खरे
गृह विज्ञान विभाग,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर

स्वतंत्रता के बाद देश में मुर्गीपालन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुर्गी पालन फार्म से निकलकर उद्योग स्तर तक पहुंच चुका है।

वैज्ञानिक ढंग से कुक्कुट पालन की जानकारी को अपनाने के फलस्वरूप ही इस क्षेत्र में इतनी उन्नति सम्भव हुई है। इसका कारण है कि वैज्ञानिकों ने हमेशा नए तत्वों की खोज करके उसे मुर्गी के दाने में प्रयोग किया जिससे अण्डों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। लेकिन अण्डों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है मुर्गियों की अच्छी देखभाल यानी मुर्गियों को अच्छी तरह से रखना। अतः यहां पर दो पद्धतियां दी जा रही हैं जो अपनी आवश्यकता व सुविधानुसार अपनायी जा सकती हैं।

गहरी बिछाली पद्धति :

इस प्रकार के तरीके में मुर्गियों को बन्द कमरे में रखा जाता है तथा फर्श पर मोटे बिछावन का प्रयोग किया जाता है इस पद्धति में उनके पालन-पोषण का कार्य कमरे के अन्दर किया जाता है।

बिछावन के लाभ :

- बिछावन से फर्श की नमी तथा ठंडक का मुर्गियों पर कम प्रभाव होता है।
- इस प्रकार के प्रवन्ध में मजदूरी की बचत होती है।
- मुर्गियां बिछावन को कुरेदने तथा ढूढ़ते रहने में इतनी व्यस्त रहती है कि उन्हें एक दूसरे के पंख नोचने की बुरी आदत का अवसर नहीं मिलता।
- पशु प्रोटीन के प्रभाव या एनीफल फैक्टर जिसे विटामिन बी^{12} कहते हैं, के साथ-साथ विटामिन बी^{2} बिछावन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार बिछावन से सन्तुलित आहार की आवश्यकता को किसी हद तक पूरा किया जा सकता है।
- छंटनी की गयी मुर्गियों को बाजार में बेचना आसान हो जाता है क्योंकि उनकी हड्डियों की अवस्था अच्छी होती है।
- गहरी बिछाली पद्धति का आधार एक जीवाणु क्रिया है जो मुर्गियों के मल मूत्र की मदद से इस बिछावन को उत्तम रासायनिक खाद में बदल देती है। यह खाद मुर्गी घरों से निकालकर एकदम खेतों में प्रयोग की जा सकती है। इस खाद में तीन प्रतिशत नाइट्रोजन, दो प्रतिशत फास्फोरस तथा दो प्रतिशत पोटाश तथा अन्य तत्वों के अंश मिले रहते हैं।

बिछावन के लिए उपयुक्त वस्तुएं :

मुर्गी घरों में बिछावन के लिए धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा, सूखी घास, सूखे पत्ते, धान का पुआल, गेहूं और नई का पुआल, मूंगफली के छिलके या गन्ने के बचे हुए डंठल प्रयोग में लाए जाते हैं। बिछावन के लिए वे चीजें प्रयोग करते हैं जो उस स्थान पर आसानी से सस्ते दामों में मिल जाएं यह पदार्थ साफ, सूखा तथा ऐसा होना चाहिए जो नमी सोख सके तथा बिछावन में बड़े ढेले न जमने दें।

नया बिछावन लगाने की विधि :

हैचरों से नये चूजों को लाने से पूर्व मुर्गी घर में बिछायी गयी पुरानी बिछावन को हटा लेना चाहिए। एक हफ्ते तक बच्चों के लिए 3 सेमी० मोटी तह बिछाकर रखनी चाहिये। बच्चे जितने बड़े होते जाएं बिछावन की तह उतनी मोटी करते जाएं। यहां तक कि जब मुर्गी 5-6 महीने की हो जाए तो करीब 15 से० मी० मोटी तह वाला बिछावन होना चाहिए। बिछावन डालने से पहले फर्श पर चूना छिड़क देने से बाद में आसानी रहती है। नया बिछावन लगाने से पहले मौसम सूखा तथा गर्म होना चाहिए।

पुराने बिछावन का उपयोग :

पुराने बिछावन पर मुर्गियों को पालने के लिए यदि कुछ आवश्यक सावधानियां न बरती जाएं तो भारी हानि का अंदेशा रहेगा।

- यदि पूर्व बिछावन में नमी और ढेले अधिक हों तो उसे इस्तेमाल न करें।
- पुराने बिछावन को उपयोग में लाने से पहले दो तीन दिन के लिए उसकी दरी बनाकर छोड़ दें जिससे बिछावन की गर्मी से अगर कोई कीटाणु इत्यादि हों तो खत्म हो जाएं।
- पुराने बिछावन में ढेले, पंख व अन्य मलबे के टुकड़े निकाल देने चाहिए। बिछावन में थोड़ा सुपर फास्फेट मिला देने से अमोनिया गैस कम बनती है।

बिछावन की देखभाल :

- बिछावन को सूखा रखना चाहिए। उसमें 25 प्रतिशत तक आद्रता होनी चाहिए।
- फर्श की ऊंचाई आस-पास की जमीन से अधिक होनी चाहिये ताकि पानी रिसने से फर्श गीला न हो।
- घरों में मुर्गियां, जगह के अनुसार सही संख्या में रखनी चाहिये। एक मुर्गी को ढाई से तीन वर्ग फुट जगह देनी चाहिए।
- पानी पिलाने का ऐसा प्रबन्ध हो कि पानी जरा सा भी बिछौने पर न गिरे।
- कमरा अच्छा हवादार होना चाहिए।
- बिछावन को हफ्ते में एक बार उलट पुलट देने से उसकी दशा अच्छी रहती है।
- बिछावन में किसी प्रकार की फफूंद नहीं आनी चाहिए।
- गर्मी में बिछावन पर कभी-कभी हल्के पानी का छिड़काव करना ठीक रहता है ताकि धूल न उड़े।
- यदि बिछावन में नमी ज्यादा हो जाए तो सुपर फास्फेट सवा किलो या बुझा चूना डेढ़ किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देना चाहिए।

संक्षेप में कहा जा सकता है बिछावन का उत्तम प्रबन्ध हमें मुर्गी पालन में सिर्फ मुनाफा नहीं पहुंचाता बल्कि खाद के रूप में अनाज की वृद्धि में भी सहायक होता है।

पिंजरा प्रणाली :

लगभग दो दशक पूर्व इस पद्धति को अमरीका में अपनाया गया था तथा बाद में यूरोप में इसका अनुकरण किया गया। बिछावन प्रणाली में प्रति पक्षी कम से कम 2.5 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। इसकी तुलना में पिंजरा प्रणाली में 0.5 से 0.7 वर्ग फुट स्थान ही पर्याप्त है।

लाभ :

कम स्थान में अधिक पक्षी : इस पद्धति में कम स्थान की आवश्यकता होती है अर्थात एक मुर्गीगृह में जहां एक हजार पक्षी पल रहे हों वहां दो से ढाई हजार पक्षी उसी स्थान में पाले जा सकते हैं।

रोग से बचाव : चूंकि मुर्गियां पिंजरों में रहती है अतः रोग पूरे मुर्गी समूह को ग्रसित नहीं कर पाता। रोगी मुर्गी की पहचान भी आसानी से हो सकती है।

आहार की खपत में कमी : पिंजरे में पालने पर मुर्गी 6-10 ग्राम आहार कम खाती है।

देखभाल में सुविधा : इस प्रणाली में निगरानी सुविधा रहती है। अतः छटनी करने में आसानी रहती है।

हानियां :

जहां इस प्रणाली में अनेक गुण है वहीं हानियां भी हैं। वह इस प्रकार हैं :

टूटे तथा दरार वाले अण्डों की संख्या अधिक : अक्सर अण्डे लुढक कर ट्रे में आते हैं और टूट जाते हैं या उनमें दरार पड़ जाती है। लगभग 2 से 5 प्रतिशत तक की हानि होती है।

गर्मियों की परेशानी : कम जगह में मुर्गी द्वारा स्वयं की गर्मी 107 डिग्री फारेनहाइट का निकलना तथा दूसरा यह कि मुर्गियों को कहीं भी ठंडे स्थान पर जाने की बंदिश रहती है।

पिंजरे की थकावट : कुछ मुर्गियां कमजोरी तथा लकवे का शिकार हो जाती हैं। अण्डा उत्पादन के छः से आठवें सप्ताह में बहुधा इस प्रकार की हालत पायी जाती है। आहार में ग्रिट बोन मील आदि की मात्रा बढ़ाने से इस समस्या का निदान किया जा सकता है।

पिंजरा प्रणाली में प्रबन्ध व्यवस्था :

इस प्रणाली में जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार है :

पिंजरे के पक्षियों को आहार समय पर मिलना चाहिए। कम से कम दिन में तीन बार आहार दिया जाये। इस प्रणाली में स्वच्छ जल हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। पिंजरा व्यवस्था में केवल बीट ही इकट्ठी होती है। अतः समय-समय पर साफ करवाना आवश्यक है। प्रकाश की व्यवस्था ऐसी हो कि मुर्गी सुगमता से आहार तथा पानी देख सके। विद्युत बल्बों को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए।

इस प्रकार देखते हैं कि दोनों ही विधियों के अपने-अपने लाभ और हानियां हैं। इनमें से कोई भी विधि अपनी सुविधानुसार अपनायी जा सकती है।

(पृष्ठ 2 का शेष)

पाठकों के पत्र

"कुरुक्षेत्र" का जुलाई-94 का अंक प्राप्त हुआ। इस अंक में पंचायती राज के बारे में कई महत्वपूर्ण लेख पढ़ने को मिले। डा. महीपाल द्वारा लिखित "पंचायत राज : अगला कदम" लेख सर्वाधिक ज्ञानवर्धक लगा। इस लेख में लेखक ने "पंचायती राज के अगले कदम" के बारे में बहुत ही अनुसंधानपूर्वक विचार प्रकट किए हैं।

"नशीली दवाओं का कुप्रभाव कैसे रोकें?" लेख में डा. गिरीश मिश्र ने विश्व में बढ़ती नशीली दवाओं के प्रयोग पर चिन्ता व्यक्त की है। वास्तव में नशीली दवाओं के प्रयोग के कारण आज की हमारी युवा पीढ़ी, जो कल की बुनियाद है, खोखली होती जा रही है। अब समय आ गया है कि सारा विश्व मिल बैठकर इस समस्या को हल करे। वर्ना हो सकता है कि कल बहुत देर हो चुकी हो।

रमेश कुमार शुक्ला,
862-ए/28-बी/71,
भारद्वाजपुरम्, इलाहाबाद-211006

"कुरुक्षेत्र" का जुलाई 94 अंक पढ़ा। पंचायती राज से सम्बंधित लेखों से पंचायती राज की पूरी व्यवस्था की जानकारी मिली। पंचायती राज ग्रामीण विकास का एक और सबसे महत्वमूर्ण कदम है जो विकास के लिए सबसे अधिक उम्मीदें लेकर आया है जिसे केन्द्र द्वारा ही पूर्ण रूप से सशक्त बनाकर लागू करना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी और उनकी मानसिकता को ऊपर उठाने में यह विधेयक काफी हद तक लाभकारी रहेगा।

सभी योजनाएं ज्यादातर हमारे देश में अपनत्व की भावना से ग्रस्त हैं। जिनमें अधिकारों/कानूनों का दुरुपयोग और "हम किसी से कम नहीं" की भावना विकास में सबसे बड़ा बाधक दोष है। पंचायती राज भी इस दोष से निश्चित रूप से ग्रसित होगा ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ऐसी अवस्था में जरूरत है, जागरूकता और त्याग की, जिसे स्वयंसेवी संगठन आगे आकर सही रूप में प्रभावी होने में मदद कर सकते हैं। विकास के कार्यों में महिलाओं की जागरूकता भी अति आवश्यक है, लेकिन सामाजिक बंधन, रीति रिवाज, दब्बूपन, स्वनिर्णय में असमर्थता, जैसे दोष ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के बावजूद भी उनकी जागरूकता में अवरोधक बनेंगे जबकि आवश्यकता है, ग्रामीण महिलाओं की जागरूकता में तेजी से विकास की।

लवकुश सिंह
प्रबन्धक,
पशुपालन उत्पादन एवं विकास केन्द्र
ट्रेड सेंटर, नई बस्ती बछेड़ा
डाकघर पुरुषोत्तमपुर, जिला मिरजापुर (उ. प्र.)

राजस्थान में जलोत्थान सिंचाई योजनाएं

परमेश चन्द्र

सचिव, विशिष्ट योजनाएं एवं एग्रा. वि.

राजस्थान की भौगोलिक संरचना विचित्र है। राज्य का लगभग आधा भाग थार का मरुस्थल और आधार भाग मैदानी - पठारी क्षेत्र है। नदियों का अभाव है, वर्षा अनिश्चित व असमान है। कृषि वर्षा पर निर्भर है। प्रगति, खुशहाली और विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।

सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण राज्य की भौगोलिक संरचना और वर्षा की कमी के साथ-साथ आजादी के पूर्व की शासन व्यवस्था भी रही है जिसमें सिंचाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के जिस भू-भाग में नदी नालों का पानी उपलब्ध था, उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो सका। आजादी के बाद तेजी से आगे बढ़ने के लिए निश्चय किया गया ताकि खेती से अछूते पड़े क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाए और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाई जाए। इसके लिए राज्य में उपलब्ध जल के भरपूर उपयोग के लिए छोटी बड़ी व मझली सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहते हुए नदी नालों के सतही जल संसाधनों के उपयोग हेतु विचार किया गया और राज्य में जल का समुचित उपयोग कर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सन् 1981-82 से सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

सामुदायिक जलोत्थान से नदी-नालों पर बहते हुए पानी को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाकर लघु/सीमान्त कृषकों की भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

योजनाओं का सृजन

राज्य के सीमित व दुर्लभ जल संसाधनों का सिंचाई के लिए अधिकतम उपयोग करने हेतु सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का सृजन ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां सिंचाई हेतु पर्याप्त और निरंतर पानी उपलब्ध हो, बहते हुए नदी-नालों के अंतर्गत देह (जल भंडारण क्षेत्र) हो, एनीकट के ऊपर एकत्रित जल स्रोत हो और सिंचाई के आसपास बांध क्षेत्र में रिसाव के जल का उपयोग नहीं होता हो तथा पानी व्यर्थ न जाता हो।

योजनाओं का सृजन क्षेत्र

यह कार्यक्रम राजस्थान के बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, बारां, धोलपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, टोंक, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और सवाई माधोपुर कुल चौदह जिलों में जहां नदी नालों में जल उपलब्ध है, लागू है। योजना के तहत अजमेर जिले को वर्ष 1993-94 में सम्मिलित किया गया है।

पात्रता

सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं के सृजन के लिए पानी की उपलब्धता के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लाभान्वित कृषकों की संख्या कम से कम दस होनी चाहिए। लाभान्वित कृषकों में 50 प्रतिशत कृषक लघु और सीमान्त कृषक होने चाहिए। योजना में कुल सिंचित क्षेत्र में लघु और सीमान्त कृषकों की भूमि 25 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

योजना के लिए आवेदन

सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के लिए कृषकों द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर (विकास), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के यहां प्रार्थना पत्र दिया जाता है। प्रार्थना पत्र के आधार पर तकनीकी अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाती है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

तकनीकी सर्वेक्षण व प्रोजेक्ट रिपोर्ट

योजना के सृजन हेतु जल स्रोतों में उपलब्ध जल की मात्रा व गुणवत्ता निश्चित की जाती है। जलस्रोतों का चयन ऐसे स्थान पर किया जाता है जो तीन वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने की स्थिति में भी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सके। जल स्रोतों में उपलब्ध जल की मात्रा, उसका पुनर्भरण तथा खरीफ व रबी फसलों हेतु जल की उपलब्धता के आधार पर चयन किया जाता है। इसमें लाभान्वित कृषकों की संख्या, उनकी भूमि और लघु तथा सीमान्त कृषकों का प्रतिशत भी देखा जाता है। योजना में प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शन भी दिए जाते हैं।

वित्तीय संसाधन

प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात् राज्य सरकार से वित्तीय सहायता दिलाकर कार्य प्रारंभ कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जलोत्थान

योजनाओं हेतु कृषकों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। लघु और सीमान्त कृषकों को राज्य मद, सूखा संभावित क्षेत्र, मद से 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत राशि लाभान्वित कृषकों को जमा करानी आवश्यक है। मध्यम कृषकों को राज्य मद से एक तिहाई अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। बड़े कृषकों द्वारा सम्पूर्ण राशि स्वयं उनके द्वारा वहन की जाती है। बैंकों द्वारा इस कार्य हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कृषक समूह द्वारा अपनी हिस्सा राशि योजना क्रियान्वयन से पूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जमा कराई जाती है।

योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन

जलोत्थान योजना के तहत सतही जल को बड़े-बड़े पम्प सैटों के माध्यम से 30-45 मीटर ऊपर लाया जाता है। पानी को नियंत्रण कक्ष और नियंत्रण कक्ष से खेतों के आऊट लेट तक जाने के लिए जी. आई. और पी. वी. सी. पाइप बिछाए जाते हैं। आऊट लेट से कृषक पानी का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार करता है।

प्रगति

वर्ष 1980-81 से लेकर 1993-94 तक गत चौदह वर्षों में कुल 791 कृषि योजनाएं तैयार की गई। इन योजनाओं पर 26 करोड़ 20 लाख 68 हजार की लागत आई जिससे राज्य की 3490 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकी है।

इन योजनाओं से 25745 कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिला है जिनमें 12634 लघु तथा सीमान्त कृषक सम्मिलित हैं।

विस्तार कार्यक्रम

वर्ष 1993-94 से राज्य के सात जिलों में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत योजना की लागत की 80 प्रतिशत राशि विश्व वैंक द्वारा दी जा रही है और शेष 20 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा दी जाती है।

शेष पृष्ठ 40 पर

सामुदायिक जलोत्थान योजनाएं

क्रमांक	नाम जिला	योजनाओं की संख्या	सिंचित क्षेत्र	लाभान्वित कृषक
1.	बांसवाड़ा	85	3077	2917
2.	भीलवाड़ा	85	5123	3836
3.	बारां	2	52	61
4.	बून्दी	40	1876	1587
5.	चित्तौडगढ़	136	6660	4696
6.	धोलपुर	1	44	46
7.	डूंगरपुर	51	2052	1820
8.	झालावाड़	62	3248	2385
9.	कोटा	61	2698	2402
10.	राजसमंद	22	1030	566
11.	सिरोही	7	181	243
12.	सवाई माधोपुर	17	712	535
13.	टोंक	18	751	577
14.	उदयपुर	203	7986	4064
15.	अजमेर	1	15	10
	योग	791	34905	25745

आहार और पोषण : कुपोषण की रोकथाम

✍ राजीव रंजन वर्मा

शरीर की सुचारू रूप से कार्य करने, उसके विकास और उसे नीरोग रखने के लिए संतुलित आहार अत्यन्त आवश्यक है। आहार का अर्थ उन अनिवार्य तत्वों से है, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। ये तत्व हैं - प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। इन तत्वों को हम शुद्ध रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें विभिन्न भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जैसे – प्रोटीन को हम दूध, अंडे, दाल और मांस आदि के माध्यम से ग्रहण करते हैं। वसा के मुख्य स्रोत दूध तथा दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अण्डे का पीला भाग, पशुओं की चर्बी, बीजों और अनाजों से निकले हुए तेल, सूखे मेवे तथा फल हैं। कार्बोहाइड्रेट मैदा, आलू, गुड़, शक्कर तथा अन्य भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार बहुत से फलों तथा सब्जियों और अनाजों के माध्यम से भी हम कुछ अन्य पोषक तत्व ग्रहण करते हैं।

मनुष्य को अपनी आयु, लिंग और कार्य करने की क्षमता के अनुसार एक निश्चित मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। मनुष्य को आहार के सभी तत्व समुचित मात्रा और अनुपात में मिलने से उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। विभिन्न कारणों से अनेक व्यक्तियों को इस प्रकार का आहार उपलब्ध नहीं हो पाता। आहार के अनिवार्य तत्वों की मात्रा तथा अनुपात के कम या अधिक होने के आधार पर व्यक्ति को कुपोषण के वर्ग में रखा जाता है।

उचित पोषण आहार उसे कह सकते हैं, जिसमें आहार के सभी गुण तथा उद्देश्य पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। उचित पोषण में भोजन की मात्रा तथा अनुपात इस प्रकार होना चाहिए कि शरीर की सभी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। पोषक आहार से शरीर की समस्त कोशिकाओं का निर्माण हो, शरीर की समस्त ग्रन्थियों में रस और एंजाइम्स उचित मात्रा में बनते रहें। शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती रहे और शरीर में होने वाली क्षति की पूर्ति भी होती रहे। उचित पोषण से समस्त शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें तथा शरीर का प्रत्येक भाग स्वस्थ तथा सुविकसित रहे।

आहार तथा पोषण के अंतर्गत मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार से शरीर को होने वाले फायदे को देखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि कौन सा आहार किस मात्रा में लेना उचित है, उस आहार को ग्रहण करने से मानव शरीर में क्या-क्या लाभ हो सकते हैं और भोज्य पदार्थों में कौन-कौन से आवश्यक तत्व किस-किस मात्रा में विद्यमान हैं। रोगी अथवा कमजोर व्यक्ति को आवश्यक आहार तत्वों में भोजन के किस तत्व, किस मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाए यह आहार एवं पोषण पर निर्भर करता है।

विटामिन, खनिज और अन्य पोषकों की कमी मानव शरीर में रतौंधी/अंधेपन जैसे स्थायी रोगों को जन्म देती है। इसके विपरीत आवश्यकता से अधिक पोषण अथवा अधिक या असंतुलित आहार के कारण हृदय रोग, मधुमेह तथा कुछ मामलों में कैंसर भी हो सकता है। आहार का असंतुलित होना या अपर्याप्त होना अथवा आवश्यकता से अधिक होना ये सब कुपोषण की ही दशाएं हैं। कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य और वृद्धि तथा विकास पर पड़ता है।

मनुष्य को आयु और कार्य के अनुसार एक निश्चित मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। आहार में भोजन के अनिवार्य तत्व एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे।

"भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति" ने एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन को दैनिक आहार के रूप में समुचित और संयोजित ढंग से इस प्रकार दर्शाया है :

खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा (ग्राम) मे
अनाज	40(
दाल, सूखा मेवा, तेल वाले बीज	8(
हरी पत्तेदार सब्जियां	114
जड़वाली सब्जियां	8(
अन्य सब्जियां	7(
फल	8(
दूध और दूध से बनी सामग्री	27(
शक्कर/गुड़	5(

तेल/घी	57
मांस/मछली	85
अंडा	40

बहुत से अन्य विकासशील देशों की तरह भारत भी 1947 के बाद निर्धनता, अज्ञानता, अंधविश्वास और कुपोषण की समस्याओं से जूझ रहा है। जनसंख्या में चिंताजनक वृद्धि के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गयी है। स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ी है और सरकारी एजेन्सियों नें जनसाधारण, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में पोषण के महत्व को स्वीकारा है।

आहार संबंधी आदतें तथा धार्मिक प्रवृत्ति

भारतीय समाज में व्यक्ति की आहार संबंधी आदतें विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है। धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक तथा भौगोलिक कारक व्यक्ति की आहार संबंधी आदतों को निर्धारित करते हैं। इन कारणों के परिणामस्वरूप आहार संबंधी कुछ ऐसी आदतें विकसित हो जाता हैं, जो संतुलित एवं पर्याप्त आहार ग्रहण करने में बाधक होती है। देश में कुछ धार्मिक प्रवृति वाले लोग किसी भी स्थिति में मांस, मछली तथा अंडा आदि ग्रहण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो सकते हैं।

आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है। कुपोषण का यह रूप ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। उनके खाने की कोई सीमा नहीं रह जाती है। इसमें बच्चों का पेट फूल जाता है, हाथ-पांव पतले-पतले हो जाते हैं, चेहरा पीला नजर आने लगता है और मुरझाया सा लगता है। कुपोषण के इस रूप को 'ओबेसिटी' कहा जाता है। जब कभी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेड ग्रहण करता है तो शरीर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है। यह भी कुपोषण की ही एक अवस्था है। इस प्रकार के कुपोषण के कारण विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में संतृप्त वसा ग्रहण करने के परिणामस्वरूप भी कुपोषण की अवस्था हो सकती है। इस अवस्था में रक्त-धमनियों में वसा एकत्र हो जाता है। वसा के एकत्र हो जाने के कारण रक्त-धमनियों के मार्ग में अवरोध पैदा होने लगता है तथा शरीर में रक्त के प्रवाह में बाधा होने लगती है। इससे कभी-कभी हृदय की गति रुक जाने की भी संभावना रहती है।

विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या एक चक्र के रूप में चलती रहती है। कुपोषण के कारण लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

विकासशील देशों में कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण पर्याप्त पोषक तत्वों का प्राप्त न होना है। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में दूध, मांस, अंडे तथा फल एवं सब्जियां उपलब्ध नहीं होतीं। अनाज की भी कमी बनी रहती है। इससे भी कुपोषण की समस्या पैदा होती है। कुपोषण के निम्नलिखित कारण हैं :

समुचित ज्ञान का अभाव : पोषक पदार्थों का उपलब्ध होना ही काफी नहीं है, पोषण के लिए संतुलित आहार संबंधी ज्ञान आवश्यक है। संतुलित आहार में आहार के सभी अनिवार्य तत्व सही मात्रा और अनुपात में होने चाहिए। आहार संबंधी समुचित ज्ञान न हो तो पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री होते हुए भी कुपोषण की अवस्था आ सकती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए विकासशील देशों में पोषण संबंधी निर्देशन देने के लिए विभिन्न संस्थान तथा केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

निम्न आर्थिक स्थिति : आहार संबंधी ज्ञान होने के बावजूद भी कुपोषण की अवस्था आ सकती है। यह अवस्था तब आती है, जब समाज में सामान्य व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तथा उसकी आमदनी कम होती है। ऐसे में अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति को अल्प पोषण से ही गुजारा करना पड़ता है तथा वह कुपोषण का शिकार बन जाता है। भारत में यही कुपोषण का मुख्य कारण है।

सामान्य व्यक्ति आहार का उद्देश्य भूख मिटाना तथा पेट भरना ही मानता है, लेकिन आहार एवं पोषण का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को कुछ आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्रदान करना है। इन तत्वों को "आहार के आवश्यक तत्व" कहा जाता है। आहार के छः आवश्यक तत्व – कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज-लवण, विटामिन तथा जल हैं। जिस आहार में ये सभी आवश्यक तत्व हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं।

विभिन्न आयु के व्यक्ति और भिन्न-भिन्न रोगों आदि की अवस्था में आवश्यक भोजन की कमी वाले शरीर में आवश्यक तत्वों द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। शारीरिक परिश्रम करने वालों के लिए शरीर की ऊर्जा तथा उष्मा बराबर खर्च होती है।

अतः अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में ऊर्जादायक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफी होनी चाहिए। मानसिक कार्यों में व्यस्त लोगों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की सामान्य मात्रा ही समुचित होती है।

बाढ़, सूखा या युद्ध मनुष्य को चिन्तित कर देते हैं, लेकिन देशवासियों का ध्यान समाज के उन पीड़ित वर्ग की ओर नहीं जाता, जिनका भूख, कुपोषण या अपोषण के कारण मानसिक तथा शारीरिक विकास पूरा नहीं हो पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'अप्रत्यक्ष-आपातकाल' कहा है। समाज के अनेक वर्ग ऐसे हैं जहां बिना पर्याप्त भोजन या पौष्टिक भोजन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है।

हम यही मानकर चलते हैं कि कुपोषण गरीबी से जुड़ी हुई समस्या है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पोषण का स्तर आर्थिक विकास, पर्याप्त आहार और उसके उचित वितरण, निर्धनता के स्तर, महिलाओं का समाज में दर्जे, जनसंख्या वृद्धि की दर और स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ वातावरण और सफाई जैसी अन्य सुविधाओं से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। कुपोषण तथा अन्य संबंधित समस्याओं से जूझने के लिए सभी प्रयास आवश्यक हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य जनता के पोषण के स्तर में सुधार लाना है। कुपोषण को जन्म देने वाली प्रमुख आहार संबंधी समस्या मुख्यतः भोजन में प्रोटीन की कमी की अपेक्षा कैलोरी की कमी से अधिक होती है। अतः मानव आहार में कैलोरी की कमी को दूर किया जाना आवश्यक है।

इस योजना के अंतर्गत अनाजों और दालों, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अंडे, मछली और दूध के अधिक उत्पादन तथा सस्ते मूल्यों पर उसकी उपलब्धता पर जोर दिया जाना उचित होगा। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विटामिन "ए" की खुराक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि रक्त अल्पता, गलगंडे और फ्लोरोसिस जैसी कुपोषणजन्य बीमारियों पर काबू पाया जा सके।

विकसित देशों में प्रोटीनयुक्त तथा अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन सरलता से मिल जाता है, जबकि गरीब तथा विकासशील देशों में यह नहीं मिल पाता है। अनाज का 15 प्रतिशत विकसित देशों में पशु समुदाय को खिलाया जाता है, चूंकि वहां जनसंख्या इतनी अधिक नहीं है।

विश्व में इस समय भोजन सामग्री का अभाव नहीं है। लेकिन फिर भी भूखे व्यक्तियों की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ गयी है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वितरण में असमानता के कारण है। कुपोषण को विकास तथा गरीबी उन्मूलन अभियान द्वारा कम किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार द्वारा पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन है, द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शहरी बस्तियों, जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े ग्रामीण इलाकों के छः वर्षों से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को पोषण आहार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। छोटे बालकों और माताओं के लिए अनाज मूलक पोषण कार्यक्रम भी चलाया गया है। यह कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों/गांवों और बस्तियों में चलाया गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत बाल विकास कार्यक्रम को बढ़ाते हुए 11 से 18 वर्ष तक की एक लाख किशोरियों को प्रतिवर्ष मातृत्व, पोषण, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, पूरक आहार आदि के विषय में व्यावहारिक ज्ञान देना आवश्यक माना गया है ताकि नयी पीढ़ी पोषण एवं आहार संबंधी ज्ञान से परिपूर्ण हो और देश में कोई भी बालक कुपोषण का शिकार न रहे।

बिहार ग्रामीण विकास संस्थान,
हेहल, रांची - 834005

पुस्तक समीक्षा

गुजरात का ध्रुवतारा

लेखक–कुलदीप गुंसाई, प्रकाशक–आर. के. जी. एसोसिएट्स, दिल्ली, मुद्रक–बदलिया प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली।

"गुजरात का ध्रुवतारा" पुस्तक केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री उत्तम भाई पटेल की जीवनी और विभिन्न विषयों पर उनके विचारों का लेखा-जोखा है। गुजरात के बलसाड जिले में श्री पटेल के नेतृत्व में चलाए गए सफल घासिया आंदोलन के माध्यम से छठे दशक की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक पृष्ठभूमि का बखूबी से चित्रण किया गया है। साथ ही श्री पटेल की जिजीविषा तथा अनुसूचित जातियों के उत्थान की उनकी अदम्य इच्छा का सजीव वर्णन है। लेखक ने उनके चरित्र को जोरदार ढंग से उभारने के लिए उन विभिन्न जाने-माने लोगों के विचार पेश किए हैं, जो किसी न किसी रूप में श्री पटेल के साथ रहे हैं या उनके आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी हैं। सभी लोग इस बारे में एकमत हैं कि उन्होंने अपने समाज के उत्थान के साथ-साथ देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। घासिया आंदोलन के पीछे कमजोर तबके की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के साथ-साथ देश की अनाज की समस्या सुलझाने की भी सोच है साथ ही निरक्षरता, बाल विवाह, दहेज और नशे जैसी सामाजिक कुरीतियां समाप्त करके लोगों के नैतिक विकास की जिम्मेदारी की भावना भी है। शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने सत्याग्रह तथा अहिंसा का सहारा लिया। इसीलिए लोगों ने उन्हें "बीजो गांधी" की उपाधि से सम्मानित किया। आजकल केन्द्र में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के रूप में वे ग्रामीणों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। राष्ट्रीय एकता, संसद, ग्रामीण विकास, कृषि विपणन, लोगों की सत्ता में भागीदारी, उपभोक्ता संरक्षण और पेयजल जैसे विविध विषयों पर श्री पटेल के विचार तथा चिंतन को पुस्तक में शामिल करके लेखक ने उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुस्तक की भाषा सरल तथा शैली सुबोध है।

भुवन चंद्र खंडूरी
बी-304, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-110023

पृष्ठ 36 का शेष

ऐसे दूरस्थ, ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में जहां आने-जाने तक का रास्ता भी नहीं है, पथरीले हैं, बारानी खेती ही जिनकी नियति थी, आज उन्हीं खेतों में सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं से तीन-तीन फसलें ली जा रही हैं। सिंचाई क्षमता के सृजन से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से प्रत्येक कृषक को औसतन आठ हजार रुपये वार्षिक प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त आय होने लगी है।

जूनाखेड़ा जलोत्थान योजना

झालावाड़ जिले में जूनाखेड़ा सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का सृजन 10 लाख 53 हजार रुपये की लागत से सन् 1990-91 में किया गया। इसमें 75 कृषकों की लगभग 250 बीघा भूमि में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई। योजना के क्रियान्वयन से कृषकों की आर्थिक स्थिति में एकदम बहुत परिवर्तन आया है। यहां संतरे के बगीचे लगाये गये और साथ में फसलें भी ली गई। इस योजना से कृषकों की वार्षिक आय 1 लाख 60 हजार रुपये से बढ़कर 5 लाख 94 हजार रुपये तक पहुंच गई हैं।

देलदर जलोत्थान योजना

सिरोही जिले में आबूरोड से 12 किलोमीटर दूर आदिवासी गरासिया बहुल क्षेत्र में वर्ष 1989-90 में आदिवासी क्षेत्र विकास (टी. ए. डी.) की मद से 1 लाख 60 हजार रुपये की लागत से 26 लघु/सीमान्त आदिवासी कृषकों को 22 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा सुलभ कराने के लिए सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का सृजन किया गया इससे पहले यह समस्त भूमि असिंचित थी तथा कृषि पैदावार भी नगण्य थी। अब रबी और खरीफ फसलें पैदाकर आदिवासी प्रसन्न तथा खुशहाल हैं।

गरड़ाना जलोत्थान योजना

कोटा जिले में पंचायत समिति सांगोद में गरड़ाना सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना से 30 कृषकों की लगभग 226 बीघा जमीन में सिंचाई सुविधा का वर्ष 1993 में सृजन हुआ है। योजना पर 4 लाख 48 हजार रुपये व्यय हुए हैं। काली सिंधु नदी से 37.5 मीटर ऊपर पानी लाया गया है। योजना में 22 लघु और 2 सीमांत कृषक लाभान्वित हुए हैं। कृषकों ने वर्ष 93-94 में पहली बार रबी की फसल में सोयाबीन और गेहूं की फसल ली है।

राज्य में सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का विस्तार होने से ये योजनाएं कृषकों की भाग्य रेखाएं बनी हैं।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत

8.62 करोड़ से अधिक दिहाड़ियों का रोजगार जुटाया गया

एक वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 8.62 करोड़ से अधिक दिहाड़ियों का रोजगार जुटाया जा चुका है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सबसे अधिक दिहाड़ियों का सृजन मध्य प्रदेश (1.01 करोड़) में हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 83.2 लाख और राजस्थान में 79.3 लाख दिहाड़ियों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

1993-94 के दौरान, केन्द्र द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुल 439 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। 1994-95 के लिए 1200 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसमें से 639.56 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को दी जा चुकी है।

इस योजना का उद्देश्य गैर कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, जो जरूरतमंद हैं और जिन्हें काम की तलाश है किंतु उन्हें मिल नहीं पाता। यह योजना 2 अक्तूबर, 1993 से 23 राज्यों और 4 केन्द्रशासित प्रदेशों के 261 जिलों में चुने गए 1,778 ब्लाकों में क्रियान्वित की जा रही है। ये ब्लाक मुख्य रूप से सूखा संभावित क्षेत्रों, रेगिस्तानी इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है। यह योजना 100 दिनों के अकुशल कार्य के रोजगार का आश्वासन प्रदान करती है।

इस योजना के अंतर्गत गैर कृषि मौसम के दौरान कार्य चलाए जाते हैं, जब कृषि क्षेत्र में ग्रामीण मजदूरों की मांग सबसे कम होती है।

इस योजना के अंतर्गत रोजगार चाहने वाले 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को, अपने निवास क्षेत्र की ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होता है अभी तक 88 लाख व्यक्ति पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकृत व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में (15,96,609 व्यक्ति) है। उसके बाद पश्चिम बंगाल (14,84,000 व्यक्ति) और उड़ीसा (10,38,033 व्यक्ति) का स्थान है।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : (डी (डी एल) 12057/94
पूर्व भुगतान के बिना डी. पी. एस. ओ. दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

R.N./708/57
P & T Regd. No. D (DL) 12057/94
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

बिक्री के लिए उपलब्ध

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के
सामान्य अध्ययन विषय हेतु
विस्तृत एवं लाभदायक सामग्री
साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के लिए भी
समान रूप से उपयोगी

इस अंक की विशेषताएँ

- भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ
- भारतीय सामाजिक व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ विवाह, जन-जातियाँ आदि
- प्रमुख भारतीय भाषाएँ एवं उनके साहित्य
- भारतीय धर्म, धार्मिक आन्दोलन
- भारतीय प्रमुख त्यौहार, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल, मेले
- भारतीय लिपियाँ
- भारतीय कला–शास्त्रीय नृत्य, संगीत, स्थापत्य एवं वास्तुकला, मूर्ति कला
- भारतीय साहित्य
- बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न

अतिरिक्तांक
मूल्य : 40.00 रुपए

शीघ्र ही अपने निकटतम न्यूजपेपर एजेन्ट से सम्पर्क करें अथवा हमे 40/- रु. का मनीऑर्डर भेजकर सीधे प्राप्त करें :

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002
फोन : 351238, 351002, 350002; फैक्स : (0562) 351251

प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक
हिन्दी की प्रथम एवं सर्वाधिक बिकने वाली सामान्य ज्ञान पत्रिका